हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 13 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 26
शोक प्रस्ताव	(6) 29
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(6) 29
वर्ष 2002-2003 का बजट पेश करना	(6) 30

मूल्य : 09

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 13 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 11.00 बजे हुई, अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Checking Menace of Tuition

***899. Shri Ramesh Kumar Khattak :** Will the Minister of State for Education be pleased to state the steps taken by the Government to bring about quality in education system by checking menace of tuitions in the State ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

प्राध्यापकों द्वारा कक्षा में गम्भीर तथा निष्ठावान शिक्षण तथा कक्षा से बाहर और शिक्षण समय के पश्चात् भी छात्रों की सहायता तथा मार्गदर्शन, शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अत्यावश्यक है। इस प्रकार से उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने महाविद्यालयों में सेवारत प्राध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाए जाने की बढ़ती बुराई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये हैं।

महाविद्यालय के प्राध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार की अधिसूचना दिनांक 8-12-2000 द्वारा विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गई है। यह आचार संहिता अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सेवारत प्राध्यापकों द्वारा पारिश्रमिक के बदले निजी ट्यूशन पढ़ाये जाने पर प्रतिबंध लगाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्राध्यापक शुल्क के बदले निजी ट्यूशन न पढ़ाए, सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की प्रबंधन समितियों को सम्मिलित किया गया है। प्रबंध समितियों को पहरेदार के रूप में कार्य करना होगा तथा प्रतिवर्ष यह प्रमाणित करना होगा कि उनका कोई भी प्राध्यापक इस बुराई में संलिप्त नहीं हो रहा है। प्रमाण पत्र झूठा पाये जाने की अवस्था में महाविद्यालय को सहायता अनुदान बंद किया जा सकता है। राजकीय महाविद्यालयों के मामले में प्राचार्यों को सतर्क किया गया है तथा वर्ष में दो बार 1 जनवरी तथा 1 अगस्त से प्रमाणित करेंगे कि उनका कोई भी प्राध्यापक इस सामाजिक बुराई में संलिप्त नहीं हो रहा है।

उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सेवारत प्राध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाये जा रहे स्थानों का अचानक निरीक्षण किया गया। अकाट्य प्रमाण जुटाने के लिए निरीक्षणों की विडियो टेप तैयार की गई। रंगे हाथों पकड़े गए राजकीय महाविद्यालयों के 7 प्राध्यापकों तथा निजी महाविद्यालयों के दो (एक प्राध्यापक तथा एक पुस्तकाध्यक्ष) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

[चौ० बहादुर सिंह]

ट्यूशन की सामाजिक बुराई को रोकने हेतु यह गम्भीर तथा सामूहिक प्रयास प्रतिरोधक सिद्ध हुआ है। प्राध्यापकों ने छात्रों के हित में गम्भीरतापूर्वक अपने शिक्षण कर्त्तव्य का निर्वहन आरम्भ कर दिया है। अब छात्र प्राध्यापक के सत्यनिष्ठ प्रयास की मांग करते हैं तथा उत्तरदायित्व पूरा करने में कमी की सूचना देने के लिए तैयार हैं।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ट्यूशन जैसी बुराई जो आज समाज में बुरी तरह से छात्रों को पीसती जा रही है, उस बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं तथा दूसरा क्या मंत्री महोदय जी बताएंगे कि देहातों में जो कालेजिज और स्कूल हैं उनमें अध्यापकों के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वह कब तक भरे जाएंगे तथा ऐसे कितने स्कूल और कालेजिज हैं जिनमें कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली चालू की गई है और वहां पर जो कम्प्यूटर चलाए जाते हैं क्या वे समयानुसार चलाए जाते हैं या फिर बिजली के कारण अगर उनको नहीं चलाया जा रहा तो सरकार उनके बारे में क्या पग उठा रही है।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि ट्यूशन की बुराई को रोककर शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार किया गया है। सरकारी कालेजिज, स्कूलों में और प्राइवेट कालेजिज और प्राइवेट स्कूलों में जो ट्यूशन पढ़ाया जाता था उसको बन्द कर दिया गया है। प्राध्यापकों द्वारा कक्षा में गम्भीरतापूर्वक तथा ईमानदारी से शिक्षण देना तथा कक्षा से बाहर और शिक्षण समय के पश्चात् भी छात्रों की सहायता करना तथा मार्गदर्शन करना शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु अत्यावश्यक हैं। अत: उच्चतर शिक्षा की गुणवता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने महाविद्यालयों में सेवारत प्राध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाए जाने की बढ़ती बुराई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्राध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा दिनांक 8-12-2000 को विस्तृत आचार संहिता के लिए अधिसूचना की गई है। यह आचार संहिता अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के सेवारत प्राध्यापकों द्वारा परिश्रमिक के बदले निजी ट्यूशन पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्राध्यापक शुल्क के बदले निजी ट्यूशन न पढ़ाए, सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की प्रबंधन समितियों को सम्मिलित किया गया है। प्रबंध समितियों को पहरेदार के रूप में कार्य करना होगा तथा प्रतिवर्ष यह प्रमाणित करना होगा कि उनका कोई भी प्राध्यापक इस बुराई में संलिप्त नहीं हो रहा है। प्रमाण पत्र झूठा पाए जाने की अवस्था में महाविद्यालय को सरकार द्वारा मिलने वाला सहायता अनुदान बंद किया जा सकता है। राजकीय महाविद्यालयों के मामले में प्राचार्यों को सतर्क किया गया है तथा साथ में उनको यह भी निर्देश दिया गया है कि वे वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 अगस्त से प्रमाणित करेंगे कि उनका कोई भी प्राध्यापक इस सामाजिक बुराई में संलिप्त नहीं हो रहा है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सेवारत प्राध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाए जा रहे स्थानों का अचानक निरीक्षण किया गया। अकाट्य प्रमाण जुटाने के लिए निरीक्षणों की विडियो टेप तैयार की गई। रंगे हाथों पकड़े गए राजकीय महाविद्यालयों के 7 अध्यापकों तथा निजी महाविद्यालयों के दो अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई है। इन प्राध्यापकों को निलम्बित किया जा चुका है और उनको चार्ज शीट भी जारी की जा चुकी है। ट्यूशन की सामाजिक बुराई को रोकने हेतु यह गम्भीर तथा सामूहिक प्रयास प्रतिरोधक सिद्ध हुआ है। प्राध्यापकों ने छात्रों के हित में

गम्भीरतापूर्वक अपने शिक्षण कर्त्तव्य का निर्वहन आरम्भ कर दिया है। अब छात्र प्राध्यापक के सत्यनिष्ठ होने के प्रयास की मांग करते हैं तथा उनको उत्तरदायित्व पूरा न करने की स्थिति में सूचना देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बुराई को दूर करने के लिए सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप सब हमारा साथ दें ताकि इस बुराई को दूर किया जा सके। यह बुराई समाज को खाये जा रही है इसे दूर करना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कम्प्यूटर की शिक्षा का सवाल है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 399 स्कूलों में कम्प्यूटर लग गये हैं जिनमें 336 स्कूलों में टाटा इनफोटैक ने कम्प्यूटर प्रोवाईड करवाये हैं और 63 स्कूलों में हारट्रोन ने प्रोवाईड करवाये हैं। इसके अतिरिक्त 57 कालेजों में कम्प्यूटर लगाये गये हैं जिनमें से 12 कालेजों में हारट्रोन ने लगाये हैं और 45 कालेजों में टाटा इनफोटैक ने लगाये हैं। इसराना और बादली को छोड़कर सब जगहों पर कम्प्यूटर शिक्षा आरंभ हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जहां पर बिजली की कमी महसूस की जा रही है, बिजली की पूरी सप्लाई नहीं है। यदि ऐसे स्कूलों में 300 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वहां पर सर्विस प्रोवाइडरों (कम्पनीज) ने जनरेटर लगाने का आश्वासन दिया है तथा कई जगहों पर ग्राम पंचायतों ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर पंचायतें भी जनरेटर उपलब्ध करवा देगीं।

श्री अध्यक्ष : बहादुर सिंह जी, इसराना में कम्प्यूटर शिक्षा कब तक आरंभ होगी ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसराना में इसी साल कम्प्यूटर शिक्षा आरंभ कर दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बहादुर सिंह जी द्वारा शिक्षा विभाग संभालने के बाद कालेज स्तर पर ट्यूशन बंद हो गई है, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। लेकिन सीनियर सैकेन्डरी स्कूल्ज में जो शहरों में हैं वहां ट्यूशन अभी भी जारी है और कुछ हद तक गांव लैवल पर भी ट्यूशन पढ़ाई जाती है। ट्यूशन कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है इसका सबूत नहीं मिलता है, क्या मंत्री महोदय, यह आश्वासन देंगे कि जिस स्कूल में ट्यूशन पढ़ाई जाती है वहां के म्यूनिसिपल चेयरमैन द्वारा या नगर निगम पार्षद द्वारा या विधायक द्वारा या गांव के सरपंच द्वारा लिखित में शिकायत देने पर जो अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस बारे में मैं पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि आप सभी हमारा साथ देंगे तभी हम इस बुराई को समाज से दूर कर सकते हैं। यदि हमें किसी विधायक, म्यूनिसिपल चेयरमैन, नगर निगम पार्षद या गांव के सरपंच से शिकायत लिखित में मिलेगी तो हम तुरंत कार्यवाही करेंगे और तभी यह बुराई दूर हो सकती है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े पूंजीपति अपने बच्चों को कान्वैंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। कान्वैंट स्कूलों में ऐसी क्या खासियत है जो हमारे स्कूलों में नहीं है। क्या मंत्री महोदय सरकारी स्कूलों को भी कान्वैंट स्कूलों के बराबर दर्जा देंगे ताकि बच्चों को ट्यूशन ही न पढ़नी पड़े। बच्चे ट्यूशन तभी पढ़ते हैं जब वे पढ़ाई में कमजोर होते हैं और स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है याने पढ़ाई स्टाफ की कमी के कारण न होती हो। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि आमतौर पर ट्यूशन वे बच्चे रखते हैं जो पढ़ाई में होशियार होते हैं। ऐसे बच्चे डिवीजन और मैरिट लाने के लिए ट्यूशन लगवाते हैं। आमतौर पर कमजोर बच्चे ट्यूशन नहीं रखते। शहर और देहात के बच्चों में पढ़ाई में बहुत अधिक असमानता बढ़ गई है। इस असमानता के कारण शहरों के बच्चे आगे निकलते जा रहे थे और हमारे देहात के बच्चे पिछड़ते जा रहे थे। देहात के बच्चों का भविष्य बनाना हमारा और हमारी सरकार का कर्तव्य है। हमने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसी के मध्यनजर हमने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ानी शुरु की है। देहात के अन्दर हरेक के मन में यह बात घर कर गई थी कि जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे वही आगे जा करके अफसर बनेंगे और नेता बनेंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा देना भी आरंभ किया है क्योंकि आगे कम्प्यूटर का जमाना आ रहा है और आज इन्फर्मेशन टैक्नालॉजी का जमाना है। इन सारी चीजों को देखते हुए ही हमने नई शिक्षा नीति बनाई है। इस बारे में मेरी आप सभी लोगों से यह प्रार्थना है कि हमने जो नीति बनाई हैं उसमें आप अपने-अपने सुझाव दें और जो रचनात्मक सुझाव आपकी तरफ से आएंगे उनको मान भी लिया जायेगा।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी बुराई यानी ट्यूशन पढ़ाने के बारे में कोई शिकायत सरकार के नोटिस में आई है अगर ऐसा मामला सरकार के नोटिस में आया है तो उस बारे में सरकार ने क्या पग उठाये हैं।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह मामला हमारे नोटिस में आया तो हमारे यहां हैड आफिस से एक टीम मौके पर चैक करने के लिए गई थी। उस टीम द्वारा 9 प्राध्यापकों को ट्यूशन पढ़ाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसे प्राध्यापकों को पकड़े जाने पर उनको सस्पैंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि हाउस के जितने सदस्य हम यहां पर बैठे हैं उनमें से कितने मैम्बर्ज के बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे यहां सब के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो फिर आप इस ट्यूशन को कैसे बन्द करवायेंगे।

चौ० बहादुर सिंह : हमारा ट्यूशन को बन्द करने का विचार नहीं है। हमारा तो मकसद इतना है कि जो सरकारी कालेज हैं या ऐडिड कालेज हैं उनमें ट्यूशन बन्द होनी चाहिए। जो लोग प्राईवेट एकेडमी चला रहे हैं और ट्यूशन पढा रहे हैं या प्राईवेट क्लासिज लगाते हैं उनको बन्द करना नहीं है।

(आई० जी० रिटायर्ड) श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्यूशन क्यों पढ़ाया जाता है, ट्यूशन पढ़ाने का क्या क्राईटेरिया है, इसका जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अध्यापकों का स्टैण्डर्ड ऊंचा है, क्या एकाउन्टेबिलिटी का कोई सिस्टम अख्तयार किया है ? (विघ्न) आज एकाउंटेबिलिटी के दो सिस्टम हैं। स्पीकर सर, नकल करवा कर बच्चों को पास करवा दें यह भी एकाउन्टेबिलिटी में आता है। (विघ्न) दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टीचर भर्ती किये गये हैं क्या उनका एजूकेशन का स्टैण्डर्ड अच्छा नहीं होता जिसके कारण बच्चे पास नहीं हों, तो, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो जो अच्छे टीचर हैं उनको पारितोषिक भी देते हैं और उनको ऑनर भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे अध्यापकों को स्टेट अवार्ड और नैशनल अवार्ड भी देते हैं। जो अध्यापक काम नहीं करते या ठीक तरह से बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं। हम अध्यापकों का रिजल्ट भी देखते हैं कि किस अध्यापक का कैसा रिजल्ट आता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बच्चों का ट्यूशन पढ़ने की बात है इस के बारे में मैंने पहले ही सदन को बता दिया है कि जो अमीर घरों के बच्चे हैं वे ही ट्यूशन रखते हैं, होशियार बच्चे ही ट्यूशन रखते हैं। गरीब आदमी का बच्चा ट्यूशन नहीं रखता और न ही उसको जरूरत होती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कुछ बच्चे बढ़िया यानी होशियार भी होते हैं और कुछ नालायक भी होते हैं। जो बच्चे नालायक होते हैं वे पढ़ाई में वीक भी होते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं जबकि ट्यूशन आपने बन्द कर दिया है क्या ऐसे वीक बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई हिदायत जारी की गई है कि उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासिज लगाई जाएं ताकि वे बच्चे भी एट पार आ जाएं। क्या इस बारे में सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं कर रही।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे निर्देश जारी कर रखे हैं। अगर बच्चे चाहेंगे कि उनके लिए वहां पर एक्स्ट्रा क्लासिज लगनी चाहिए तो वहां पर एक्स्ट्रा क्लास लगाने का इन्तजाम कर दिया जायेगा।

श्री बलबन्त सिंह (सढ़ौरा) अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीच्यूएंसी के स्कूलों में तकरीबन 70-80 पोस्टें इस वक्त वैकेंट पड़ी हैं और कई स्कूलों में तो एक-एक टीचर है और वह भी कई बार स्कूल में नहीं आता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जो अध्यापकों की पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं उनको कब तक भर दिया जायेगा।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने परसों भी बताया था कि प्राईमरी स्कूलों में कुछ अध्यापक फालतू हैं। ऐसे अध्यापकों को हम जिन जिलों में अध्यापकों की कमी है उनमें एडजैस्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इन अध्यापकों को एडजस्ट करते समय इनके हल्के का और इनके जिले का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ट्यूशन बन्द करने का फैसला किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मबीर जी ने जो प्रश्न किया है कि जो छात्र बी०ए० फाईनल करने के बाद एम०ए० की क्लास में दाखिला लेना चाहता है लेकिन सरकार द्वारा कॉलेजिज की सीट्स लिमिटेड कर दी गई हैं। जो लड़का मैरिट केस है बी०ए० ऑनर्स है, फर्स्ट डिवीजन है और सीट्स लिमिटेड होने के कारण उसको एडमिशन नहीं मिलता है और वह इस बात के लिए बजिद है कि एम०ए० जरूरी करनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर वह छात्र एम०ए० करना चाहता है तो क्या सरकार उसकी अगली पढ़ाई करवाने के लिए कोई विचार करेगी ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि जो एडमिशन होते हैं वे मैरिट के आधार पर होते हैं और जो बच्चा मैरिट में होता है उसको एडमिशन मिल जाता है। बाईचान्स अगर उसको एडमिशन नहीं मिलता है तो कोरसपोंडैंस कोर्सिज हमने कई सब्जैक्ट्स में शुरु कर रखी हैं और अगर वह बच्चा एम०ए० करना ही चाहता है तो वह कोरसपोंडैंस के थ्रू एम०ए० कर सकता है।

श्री लीला कृष्ण : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ट्यूशन अभिशाप है या कमजोर बच्चों के लिए अथवा बहुत इंटैलीजैन्ट बच्चों के लिए नैसैसिटी है ? (विघ्न)

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्यूशन को तो हम वैसे अभिशाप ही मानते हैं। पहले जमाने में जब आप और हम पढ़ते थे उस वक्त ट्यूशन का कोई नाम नहीं होता था और स्कूलों के अन्दर ही ऐक्स्ट्रा क्लासिज लगती थीं और पढ़ाई में कमजोर बच्चे वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे। ट्यूशन को अभिशाप ही माना जाएगा।

Realisation of Revenue from Power Distribution

***887. Sh. Pawan Kumar Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any improvement in the assessment/realisation of revenue in the Power Distribution Companies; if so, the details thereof from the year 1997-98 to till date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हाँ श्रीमान, वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 2000-01 में राजस्व अनुमान तथा राजस्व वसूली में क्रमश: 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1997-98 (दिसम्बर 1997 तक) की तुलना में वर्ष 2001-02 (दिसम्बर 2001 तक) के दौरान राजस्व अनुमान तथा राजस्व वसूली में क्रमश: 75 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 1997-98 से अब तक राजस्व अनुमान तथा राजस्व वसूली का विवरण (वर्षानुसार) सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 2000-01 तथा दिसम्बर 2001 तक राजस्व अनुमान तथा वसूली में हुई वृद्धि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :—

अनुमान

वर्ष	अनुमान (रुपए करोड़ों में)	वर्ष 1997-98 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1997-98	1706	
1998-99	2052	+20
1999-2000	2118	+24
2000-01	2392	+40
1997-98 (दिसम्बर तक)	1281	—
2001-02 (दिसम्बर तक)	2239	+75

वसूली

वर्ष	वसूली (रुपए करोड़ों में)	वर्ष 1997-98 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1997-98	1486	
1998-99	1758	+18
1999-2000	1860	+25
2000-01	2233	+50
1997-98 (दिसम्बर तक)	1127	---
2000-02 (दिसम्बर तक)	1998	+77

श्री पवन कुमार दिवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रैवैन्यू रिकवरी में जो इम्प्रूवमैंट हुई है उसके लिए सरकार ने क्या स्टैप्स उठाए हैं तथा गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स के खिलाफ बिजली डिपार्टमैंट का कितना बकाया है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने सर्वप्रथम तो यह जानना चाहा है कि जो रैवैन्यू रिकवरी हुई है उसके लिए सरकार ने क्या स्टैप्स उठाए हैं। स्पीकर सर, हमने बड़े जोर शोर के साथ बड़ी प्रेरणादायक योजनाएं चलाई कि किसानों का सरचार्ज माफ करेंगे, ब्याज माफ करेंगे लेकिन पहले वे बिजली के बकाया बिल अदा करें। इस बात के लिए लोगों की तरफ से बहुत भारी रिस्पोंस आया जिसकी वजह से लोगों ने बिल जमा करवाए और इस कारण राजस्व वसूली हुई। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ सभी अधिकारियों और राजनेताओं ने भी लोगों को इस बात के लिए समझाया कि बिजली के बिलों की अदायगी करना बहुत जरूरी है। लोगों ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाते हुए बिलों की अदायगी की। बिजली की सप्लाई में वृद्धि हुई जिसकी वजह से बिजली की अवेलेब्लिटी को देखते हुए लोगों को बिजली मिली। इस बात को देखते हुए लोगों ने इस बात को माना कि बिजली के बिलों की अदायगी करना ठीक है और उन्होंने बिल अदा किए। जहां तक मेरे माननीय साथी ने यह जानना चाहा है कि क्या सरकारी अदायरों की तरफ भी बिजली के कुछ बिल बकाया हैं, तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि हां स्पीकर सर, 1998 के अन्त तक 113 करोड़ रुपये, 1999 के अन्त तक 154 कोरड़ रुपये, 2000 के अन्त तक 21 करोड़ रुपये, मार्च, 2001 तक 131 करोड़ रुपये बकाया हैं। स्पीकर सर, नवम्बर, 2001 के अन्त तक 210 करोड़ रुपये सरकारी डिपार्टमैंट्स की तरफ बकाया हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किसानों के प्रति बिजली के कितने बिल बकाया हैं और कण्डेला में सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत हुई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कण्डेला का यहां पर कोई जिक्र नहीं है, आप रैलेवैन्ट सवाल पूछें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह किसान की बात है, ये बताएं कि किसानों के कितने बिल बकाया हैं ? जहां तक इस बारे में स्टेटमैंट दी है। रिवेन्यू असैसमैंट के कालम में 2000-2001 वर्ष में 2392 करोड़ रुपये दिये हैं और 40% का इन्क्रीज दिखाया है तथा 2000-2001 में रियलाईजेशन के कालम में 2233 करोड़ का दिया है और 50% इन्क्रीज दिखाया है जबकि वर्ष 2001-2002 में असैसमेंट के कालम में 2239 करोड़ रुपये और 75% इन्क्रीज और रियलाइजेशन के कालम में 1998 करोड़ दिखाये हैं और 77% इन्क्रीज दिखाया है। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदय इसको स्पष्ट करेंगे कि जो एमाउंट कम दिखाया हुआ है और रियलाईजेशन 77% ज्यादा दिखाई है जबकि वहां पर एमाउंट ज्यादा था और इन्क्रीज कम थी ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इन्होंने पूछा है कि कितने राजस्व बकाया हैं। यह जो राजस्व बकाया है, 1997-98 में 1706 करोड़ रुपये, 1998-99 में 2052 करोड़ रुपये, 1999-2000 में 2118 करोड़ रुपये, 2000-2001 में 2392 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2001-02 में 2239 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया रहा है। इसमें केवल किसान ही नहीं बल्कि सभी अदायरे शामिल है। स्पीकर सर, इन्होंने जहां तक इन्क्रीज के बारे में कहा है तो वह दिसम्बर 2002 तक की बात है यानी कि फाईनाशियल ईयर तक। स्पीकर सर, इन तीन महीनों की फिगर अभी आई नहीं है जब यह फिगर आएगी तो यह बढ़ जाएगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 2001-02 तक वसूली की फिगर 1998 करोड़ रुपये दे रखी है और इसमें आपने इन्क्रीज 77 प्रतिशत दिखा दिया है। जबकि आपने 2000-01 में रियलाईजेशन 2233 करोड़ रुपये दिखाए हैं और इन्क्रीज केवल 50 प्रतिशत ही दिखाया है। इसमें कौन सी बात ठीक है। मुझे तो यह कंट्राडिक्टरी लगता है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 1997-98 के बाद की इन्क्रीज 50 प्रतिशत है और जब फाईनांशियल ईयर आएगा तो जो अमाउन्ट 2233 करोड़ रुपये का बताया है यह भी बढ़ जाएगा।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। हुड्डा साहब, आप इनको दोबारा से पढ़ें। यह जो 2000-2001 का मतलब यह है कि 31 मार्च, 2001, यह 2002 नहीं है। यह जो आप कह रहे हैं कि इन्टीसिपेशन है तो इस बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एन्टीसिपेशन तब होता जब 2002 के बारे में यहां पर दिखाते। 31 मार्च, 2001 समाप्त हो चुका है। उस टाईम तक 2233 करोड़ रुपये रियलाईजेशन दिखाया गया है। अब जो मंत्री जी बता रहे हैं कि यह एक दिसम्बर तक का बता रहे हैं। हुड्डा साहब, 3 महीने अभी और बकाया हैं। इस साल में इन 3 महीनों की रियलाईजेशन जब और आएगी as compare to 2000-2001 तो 2001-2002 की रियलाईजेशन बढ़ेगी। यह हाईपोथेटिकली नहीं है। यह दिसम्बर तक की बढ़ाई है। It is up to December. स्पीकर सर, अब इनको 31 मार्च तक का आज ही कैसे बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं शायद मंत्री जी को समझा नहीं पा रहा हूं या ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इनको आपके माध्यम ये बताना चाहूंगा कि 1997-98 का टोटल रियलाईजेशन 1486 करोड़ रुपये दिखाया है और आप उसमें कम्पेयर कर रहे हो। अब 2000-2001 में रियलाईजेशन 2233 करोड़ रुपये दिखाया है और इन्क्रीज 50 प्रतिशत दिखा रहे

हो। मैं एक बात कह रहा हूं कि इसके बाद 2001-2002 में आपने दिसम्बर तक रियलाईजेशन 1998 करोड़ रुपये की दिखाई है और इन्क्रीज 77 प्रतिशत दिखा रहे हो as compare to year 1997-98. मेरा मतलब यह है कि अमाउन्ट कम हुआ है और रियलाईजेशन की परसैन्टेज ज्यादा बढ़ी है। यह बात मेरी समझ से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बारे में बताएं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक साल के दिसम्बर तक जो फिगर्ज थे उनका कम्पैरिजन दिसम्बर के फिगर्ज के साथ ही करेंगे, मार्च के फिगर्ज के साथ कैसे करेंगे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 1997-98 साल का भी फिगर दिसम्बर तक इसलिए दिखाया है ताकि इस साल का भी दिसम्बर तक ही कम्पेयर किया जा सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अमाउन्ट तो 1998 साल तक का आ चुका है, मंत्री जी वे फिगर्ज हमें दे दें ताकि हम उसको कम्पेयर कर लें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो महीना अभी आया ही नहीं है उसके बारे में अभी पहले से ही कैसे असैस करके बता दें, उसकी परसैन्टेज कैसे बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 1997-98 तक कितनी रियलाईजेशन हुई थी यह तो मंत्री जी जवाब में दिखा सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गांव कंडेला के किसानों के बारे में जवाब नहीं दिया है कि उनकी तरफ कितना बकाया है और क्या उनके साथ सरकार का कोई समझौता हुआ है। ये इस बारे में मुझे बता दें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यह एक मुश्तरका प्रश्न था और इसके बारे में मैंने रिप्लाई रिटन में सदन में दे दिया है। अगर हुड्डा साहब, स्पैसिफिकली किसानों के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस बारे में ये एक अलग से नोटिस दे दें तो उस बारे में भी इनको बता दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न सं0 828

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Up-gradation of P.H.C., Keorak

*902. **Sh. Lila Ram :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Primary Health Centre, Keorak, Distt. Kaithal to Community Health Centre; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, कैथल हल्के का सबसे बड़ा गांव क्योड़क है। इस गांव की आबादी बीस एवं पच्चीस हजार के बीच है। इसी गांव के साथ-साथ एक नीच गांव है जिसकी आबादी करीब सात हजार के लगभग है। इस गांव से एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर बरोट, बलवन्ती, जसवन्ती और देवड़ा गांव भी है इनकी आबादी लगभग पांच-पांच हजार के आसपास है। इस तरह से उस इलाके में एक ही जगह पर करीब पचास हजार लोगों की आबादी है जबकि वहां पर केवल क्योड़क गांव में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। अध्यक्ष महोदय, आज जहां पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उसी विकास की कड़ी में यह काम भी जोड़ते हुए क्योड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा कर दिया जाए ताकि वहां की पचास हजार की आबादी को स्वास्थ्य के बारे में राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जहां पूरे हिन्दुस्तान के अंदर विशेषकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे हमारे पड़ौसी राज्यों में प्लेग जैसी बीमारी फैली और वहां से कई केस प्लेग के सामने आए वहीं हमारे हरियाणा में इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। (विघ्न) हरियाणा के अंदर प्लेग का कोई केस सामने नहीं आया है। मैं इसके लिए हरियाणा सरकार का विशेषत: स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने क्योड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दर्जा बढ़ाने के बारे में बहुत ही नीरस सा जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे पुन: अनुरोध करूंगा कि वे क्योड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाएं।

डा० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने क्योड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाने के बारे में बात की है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के बारे में जो राष्ट्रीय नोर्म्ज हैं, उनको पूरा कर रही है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इन नोर्म्ज को पूरा करते हैं सरकार ऐसे केन्द्रों का दर्जा बढ़ाती रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्योड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाने की बात है मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नोर्म्ज के मुताबिक पांच हजार की आबादी तक सब-सैंटर्ज बनाने होते हैं, तीस हजार की आबादी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देना होता है और एक लाख बीस हजार की आबादी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, क्योड़क गांव के आस पास जनसंख्या के हिसाब से वहां पर सात सब-सैंटर्ज पहले ही बने हुए हैं। वहां पर पांच-पांच हजार की आबादी के हिसाब से ये सैंटर्ज 38413 की जनसंख्या को कवर करते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योड़क गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक लाख बीस हजार की आबादी के तहत कवर नहीं हो पा रहा है।

श्री रामफल कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी०एच०सी० से सी०एच०सी० बनाने का क्राईटेरिया क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि सफीदों में इस समय जो पी०एच०सी० है क्या उसकी अपग्रेडेशन करने का मामला सरकार विचाराधीन है और यदि है तो क्या इस बारे में बजट दिया गया है और कब तक यह काम शुरू किया जाएगा ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बारे में जो राष्ट्रीय नोर्म्ज होते हैं उनके मुताबिक पांच हजार की आबादी पर सब सैंटर, तीस हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख बीस हजार की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं। इसी तरह से इस बारे में जहां तक जमीन का संबंध है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि एक कनाल जमीन सब सैंटर के लिए, दो कनाल जमीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और चार कनाल जमीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के खोलने के लिए चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नोर्म्ज इसी तरह के बने हुए हैं। जहां तक सफीदों के अस्पताल के बारे में इन्होंने चर्चा की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में पहले से ही जागरूक हैं और वहां पर कैजुएलिटी सर्विसेज पहले ही शुरु की जा चुकी है जहां तक दर्जा बढ़ाने की बात है उसके बारे में विचार किया जा रहा है।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारे सब डिवीजन कौसली में पी०एच०सी० बनी हुई है और सारे नोर्म्स कंप्लीट हैं और पचास हजार की आबादी कवर करता है क्या वहां पर सी०एच०सी० बनाने का कोई विचार है यदि है तो कब तक बनाने का विचार है ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कौसली का प्रश्न है वहां पी०एच०सी० पहले से ही काम कर रही है। जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात है उसके लिए वहां जमीन देने की बात थी। सरपंच ने उसके लिए आश्वासन तो दिया था लेकिन उनकी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि वे जमीन के नोर्म्स पूरे करेंगे तदोपरान्त उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में यदि कुछ और पूछना है उसके लिए अलग से लिखकर दे दें।

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव अलेवा में चार-पांच महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उदघाटन करना था लेकिन ताऊ चौधरी देवी लाल जी का उसी दिन निधन हो जाने की वजह से वहां उदघाटन नहीं हो सका। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका उदघाटन अब कब तक करेंगे ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, अलेवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है वहां पूरा स्टाफ है उसके बावजूद भी राष्ट्रीय नोर्म्स पूरे करने की वजह से वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सी०एच०सी० के लिए स्वीकृति प्रदान की थी और वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उदघाटन का आयोजन भी पिछले साल 6 अप्रैल को होना तय किया था लेकिन उसी दिन सम्मानित चौधरी देवी लाल जी का निधन हो जाने की वजह से वह कार्यक्रम स्थगित हो गया था अब हम यथाशीघ्र शिलान्यास कार्यक्रम करवाएंगे और यथाशीघ्र इसे बनाएंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप बैठ जाइए (शोर एवं व्यवधान) डॉ० सीता राम अपनी सप्लीमैंट्री पूछें। अनीता जी जो कह रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डबवाली हल्के के कालांवाली शहर के अंदर पी०एच०सी० है और सी०एच०सी० बनने के सारे नोर्म्स भी वह पूरे करती है क्या मंत्री महोदय उसका दर्जा बढ़ाकर उसे सी०एच०सी० या जनरल हॉस्पीटल बनाएंगे। पिछले बजट सैशन में भी मैंने यह सवाल उठाया था और उसका मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस बारे में केस भी बनकर डिपार्टमैंट के पास आया हुआ है मंत्री महोदय इसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि कालांवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है और वहां पूरा स्टाफ कार्यरत है। जहां तक उसका दर्जा बढ़ाने की बात है उस पर विचार कर लिया जाएगा। अगर वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोर्म्स पूरे करता होगा तो वहां सी०एच०सी० बना दी जाएगी। हॉस्पीटल बनाना तो बाद का काम है।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कितने ऐसे पी०एच०सी० सैंटर हैं जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन स्टाफ नहीं है वहां कब तक स्टाफ काम करने लग जाएगा ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि आज से ढाई साल पहले 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे थे जहां स्टाफ नहीं था लेकिन हमने तत्परता दिखाकर 321 डॉक्टर नियुक्त किए हैं। पहली बार हर जगह डॉक्टर और टैक्नीशियन दिए हैं और हमने दो सौ डॉक्टरों का इटरव्यू भी लिया हुआ है। आज के दिन कोई भी पी०एच०सी० ऐसी नहीं है जहां डॉक्टर नहीं है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने बताया कि कालांवाली में सी०एच०सी० का दर्जा बढ़ाया जा सकता है लेकिन क्योंकि कालांवाली ओढ़ा गांव के पास में पड़ता है वहां की पी०एच०सी० को सी०एच०सी० का दर्जा दे दिया गया है लेकिन चूंकि कालांवाली शहर ओढ़ा गांव की सी०एच०सी० से आठ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है इसलिए कालांवाली शहर में सी०एच०सी० नहीं बनाई जा सकती। कालांवाली शहर के आस-पास बहुत सारी आबादी रहती है, ग्रामीण बैकग्राउंड एरिया है इसलिए वहां यदि जनरल हॉस्पीटल बना दिया जाए तो उस इलाके के लोगों को बहुत दूर सिरसा में नहीं जाना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में पुनर्विचार करें और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित कार्यवाही करें।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, ओढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंक्शन किया जा चुका है। जहां तक कालांवाली में अस्पताल खोलने की बात है उसके लिए छः एकड़ जमीन के नोर्म्स का प्रावधान है। जिस दिन वहां पर 6 एकड़ जमीन का प्रावधान हो जायेगा उस समय वहां पर अस्पताल खोलने पर विचार कर लिया जायेगा।

Education to Handicapped Children

***882. Sh. Amar Singh Dhanday :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the Govt. is aware of the fact that a large number of handicapped children are there in the state, if so, whether there is any scheme to provide facilities like education, medical etc. to them ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे हैं। राज्य सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्तमान में विकलांग बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं विभाग द्वारा 12 एकीकृत शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन 8 जिलों में 16635 विकलांग बच्चों की पहचान की गई है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। इसमें से अधिकतर बच्चों को सहायता और उपकरण प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग अपने आप और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष विद्यालय चला रहा है। यह विभाग विकलांग बच्चों/विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन/सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

श्री अमर सिंह ढांढे : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य में कुल कितने केन्द्र विकलांग बच्चों के लिए चलाये जा रहे हैं और उन विकलांग केन्द्रों में विकलांग बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और स्पीकर सर, मैं स्पैशली मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गरीब हरिजन विकलांग बच्चों को उन विकलांग केन्द्रों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।

चौ० बहादुर सिंह : स्पीकर सर, एकीकृत शिक्षा केन्द्र राज्य के 12 जिलों में खोले हुये हैं जिन जिलों में ये केन्द्र खोले हुए हैं उनके नाम मैं सदन में बताना चाहूंगा उनके नाम हैं सिरसा, भिवानी, अम्बाला, सोनीपत, जींद, रोहतक, हिसार, रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद। इन बच्चों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सुविधाएं-प्रोत्साहन प्रदान की जाती हैं :- उपकरण (विकलांगता से सम्बंधित 2000 रुपये प्रति छात्र), वर्दी भत्ता 200 रुपये प्रति छात्र, लेखन सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक भत्ता 400 रुपये प्रति छात्र, सहायक भत्ता 75 रुपये प्रति छात्र (केवल उन बच्चों के लिए जो बिना सहायक के स्कूल उपस्थित नहीं हो सकते) वर्ष में 10 महीने, यातायात भत्ता वर्ष में 10 महीने 50 रुपये प्रति छात्र (उन बच्चों के लिए जो चल नहीं सकते), रीडर भत्ता 50 रुपये प्रति छात्र, वर्ष में 10 मास (दृष्टि की विकलांगता वाले बच्चों के लिए) इसलिए इन 12 जिलों में ये केन्द्र चल रहे हैं और इनकी जरूरतों को ध्यान में रख कर अलग से दूसरे केन्द्र आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं।

श्री अमर सिंह ढांढे : स्पीकर सर, मैंने जो तीसरा प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा था कि जो गरीब हरिजन बच्चें हैं उनको क्या-क्या सुविधाएं इन विकलांग केन्द्रों में दी जा रही हैं मैं स्पैशली इस बारे में जानना चाहूंगा।

चौ० बहादुर सिंह : स्पीकर सर, इन विकलांग केन्द्रों में हरिजन विकलांग बच्चों को अलग से सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। विकलांगता के आधार पर बच्चों को वहां पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इस प्रश्न के मामलें में मंत्री महोदय ने जो सदन में जानकारी दी है कि राज्य में 16635 विकलांग बच्चों की पहचान की गई है मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि जो बच्चे मैंटली हैंडीकेप हैं उन मैंटली हैंडीकेप बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उनके बारे में कहां-कहां पर ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन इन जिलों में विकलांग बच्चों हेतु योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष की आयुवर्ग के 16635 बच्चों की पहचान की गई है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए काफी योजनाएं चालू की हैं। राजकीय विद्यालय, पानीपत विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति देता है। सामाजिक न्याय, तथा सशक्तिकरण विभाग ने अंधे छात्रों के लिए पानीपत में आवासीय विद्यालय चला रखा है। इस योजना में अंधे बच्चों को 10वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा, आवास, भोजन तथा वस्त्र की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत अन्ध राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अंधे छात्रों को भी आवास तथा भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 30.89 लाख रुपये खर्च किए गए थे और वर्ष 2001-2002 में इस मद के लिए 43 लाख रुपये का प्रावधान है। दिमागी तौर पर अविकसित बच्चों के लिए रोहतक में एक स्कूल चल रहा है। रैड क्रास सोसायटी रोहतक शहर में अविकसित बच्चों के लिए स्कूल चला रही है। इस स्कूल में 3 से 11 वर्ष की आयुवर्ग के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जिनका आई०क्यू० 36 से 70 प्रतिशत हो। ये स्कूल सभी बच्चों को नि:शुल्क आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान करता है।

Number of Sub-stations Up-graded

***854. Sh. Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Sub-stations, if any, upgraded in the State during the period from November, 2001 todate together with the details of the improvement in the distribution/supply of power after their upgradation ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : नवम्बर 2001 से अब तक की अवधि के दौरान पांच नए उपकेन्द्र चालू किए गए हैं। जिनके नाम हैं 66 के०वी० रायपुर रानी, 66 के०वी० सैक्टर 34 गुड़गांव, 66 के०वी० सैक्टर 55-56 गुड़गांव, 33 के०वी० बवानिया, 33 के०वी० डबलाना। इसी प्रकार नांगल चौधरी तथा नरवाना में 132 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता की वृद्धि की गई है। इन कार्यों तथा 39.805 कि०मी० प्रसार लाईनों का निर्माण कार्य 14.28 करोड़ रुपये की लागत से शुरु किया गया है।

इन नए उपकेन्द्रों के चालू होने से इन उपकेन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की वोल्टेज में सुधार हुआ है, कम ब्रेक डाऊन या बाधाओं के कारण बिजली की विश्वसनीयता बेहतर हुई है तथा अधिक मांग को पूरा करने के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन-किन नए उपकेन्द्रों को इन्होंने अपग्रेड किया है और उनमें से कौन-कौन से पूरें हो चुके हैं और कौन-कौन से केन्द्र ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इन कामों की लिस्ट बहुत लम्बी है क्योंकि काम ही इतने ज्यादा हुए हैं। इस सरकार के आने के बाद 23 नए उप-केन्द्रों को चालू किया गया है। 103 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 549 किलोमीटर की प्रसार लाईनों का निर्माण कार्य 191 करोड़ रुपये की लागत से मुकम्मल कर लिया गया है। 75 नए उप केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरु किया गया है। 55 नए वर्तमान उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इन सब कामों पर 700 करोड़ रुपये लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने जानना चाहा है कि कहां-कहां इन उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य शुरु किया गया है और कहां-कहां इनकी क्षमता में वृद्धि की गई है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला जिले के जिन नए उप केन्द्रों पर काम चालू हो रहा है वह इस प्रकार हैं तेपला का 220 के०वी०, मुलाना का 66 के०वी०, दुखेड़ी का 66 के०वी०, कालका का 66 के०वी० और मनसा देवी का 66 के०वी०। अम्बाला के जिन उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और उन पर अपग्रैडेशन का काम हो रहा है वे इस प्रकार हैं बरवाला का 66 के०वी०, शहजादपुर का 66 के०वी०, चौड़-मस्तपुर का 66 के०वी०, पंचकूला का 220 के०वी० और आई०ए० पंचकूला का 66 के०वी०। यमुनानगर का 220 के०वी० का सब-स्टेशन नया बन रहा है और यमुनानगर में जिन नए उपकेन्द्रों का काम चालू हो रहा है। वे इस प्रकार हैं तलाकौर का 66 के०वी०, गुलाबनगर का 66 के०वी०। यमुनानगर के जिन उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि हो रही है वे इस प्रकार हैं-मुस्तफाबाद का 66 के०वी०, बसतपुर का 66 के०वी०, गोबिन्दपुरी का 66 के०वी०, रादौर का 66 के०वी०, लाडवा का 66 के०वी०, नारायणगढ़ का 66 के०वी०, बिलासपुर का 66 के०वी०, चांदपुर का 66 के०वी०। स्पीकर सर, कैथल जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं- 220 के०वी० का चीका में, 132 के०वी० का चाकूलदाना में, 132 के०वी० का पाडला में, 132 के०वी० का कंगथली में, 132 के०वी० का भागल में, 33 के०वी० का जाखोली में और 33 के०वी० का क्योंढक में तथा जहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी०का कौल में, 132 के०वी० का थाना में तथा 33 के०वी० का राजौंद में। इसी तरह से कुरुक्षेत्र जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 66 के०वी० का कलसाना में, 66 के०वी० का देगाली/यारा में, 33 के०वी० का झांसा में, 33 के०वी० का मुरथाली में और 33 के०वी० का सैंसा में तथा यहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का इस्माइलाबाद में, 33 के०वी० का बाड़ना में। इसी तरह से करनाल जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का जलमाना में, 132 के०वी० का नेवल में, 33 के०वी० का मंजूरा में, 33 के०वी० का फाड़ा में, 33 के०वी० का अहर में और 33 के०वी० का निगधू में तथा यहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का साग्गा में, 132 के०वी० का मधुबन में, 132 के०वी० का इन्द्री में, 33 के०वी० का कोहांड में और 33 के०वी० का धर्मगढ़ में। स्पीकर सर, पानीपत आपका जिला है , पानीपत जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं, - 132 के०वी० का मडलोडा में, 132 के०वी० का इसराना में, 33 के०वी० का जी०आर० पानीपत में और 33 के०वी० का दीवाना में तथा जहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का बंदौली में। इसी तरह से सोनीपत जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 220 के०वी० का मुरथल में, 132 के०वी० का हरसाना कलां में, 132 के०वी० का खरखौदा में, 132 के०वी० का खेवरा में तथा यहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है वे इस प्रकार

[श्री रामपाल माजरा]

हैं - 220 के०वी० का सोनीपत में, 132 के०वी० का गोहाना में, 132 के०वी० का कुंडली में और 33 के०वी० का सोनीपत में। इसी तरह से रोहतक जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का महम में, 132 के०वी० का सांपला में और 132 के०वी० का एमडीयू रोहतक में तथा यहां जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 220 के०वी० का रोहतक में, 132 के०वी० का कलानौर में और 33 के०वी० का जसिया में। इसी तरह से झज्जर जिले में जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का बहादुरगढ़ में और 33 के०वी० का मछरौली में। इसी तरह हिसार जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का आर्य नगर में, 33 के०वी० का मंगाली में और 33 के०वी० का उमरा में तथा जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का उकलाना में, 33 के०वी० का बेरला में, 33 के०वी० का भाटला में और 33 के०वी० का मुंढाल में। इसी तरह से फतेहाबाद जिले में जिन नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 220 के०वी० का फतेहाबाद में, 132 के०वी० का अहरवां में, 33 के०वी० का दरियापुर में और 33 के०वी० का सदलवास में। इसी तरह से भिवानी जिले में नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं - 132 के०वी० का भिवानी में, 132 के०वी० का लोशाम में, 132 के०वी० का लोहारू में, 132 के०वी० का बहल में, 33 के०वी० का पटौदी में और 33 के०वी० का सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी में तथा जिन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वे इस प्रकार हैं - 220 के०वी० का भिवानी में और 132 के०वी० का अटेला में।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला फरीदाबाद में कितने उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और कितने नए उपकेन्द्र लगाये जा रहे हैं ? (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी ने फरीदाबाद के बारे में पूछा है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में जो नये सब स्टेशन बन रहे हैं उनमें पाली गांव में 220 के०वी० का सब स्टेशन निर्माणाधीन है। इस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से 66 के०वी० का झांयसा में, 66 के०वी० का हसनपुर में, 66 के०वी० का अलावलपुर में, 66 के०वी० का पिरथला में और 66 के०वी० का पुनहाना में निर्माणाधीन है। जिन उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई और जो चल रहे हैं वे हैं 220 के०वी० का पलवल में और 66 के०वी० का घौज में हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह तो पहले से है----(शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी आप बैठिये। (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, *******

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये। दलाल साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं विघ्न) आप बैठ जायें। आप इररैलेवैंट बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। (शोर एवं विघ्न) आप बोल ही इररैलेवैंट रहे हैं। (शोर एवं विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं जिले वाईज जानकारी दे रहा था। बीच में करण सिंह जी ने फरीदाबाद के बारे में पूछ लिया था। अब मैं सिरसा जिले की जानकारी देना चाहूंगा। सिरसा जिले के अन्दर 220 के०वी० का रानिया में, 132 के०वी० का माधोसिंघाना में, 132 के०वी० का ऐलनाबाद में, 132 के०वी० का करीवाला में, 132 के०वी० का ओढा में, 132 के०वी० का सिकंदरपुर में, 33 के०वी० का केहरवाला में, 33 के०वी० का रसूलपुर खेड़ी में, 33 के०वी० का खारिया में निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार से महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर 220 के०वी० का महेन्द्रगढ़ में, 132 के०वी० का सतलानी में और 132 के०वी० का मुंडियाखेड़ा में निर्माणाधीन हैं। जो इस समय चल रहे हैं वे हैं :- 220 के०वी० का नारनौल में, 33 के०वी० का डहिना में, 33 के०वी० का बाड़दा में। इसी प्रकार से गुड़गांव में, 220 के०वी० का चकरपुर में, 66 के०वी० का भौरकलां में, 66 के०वी० का 44-45 सैक्टर में बन रहा है। वहां पर जो उप केन्द्र इस समय काम कर रहे हैं वे हैं 66 के०वी० का फरूखनगर में, 66 के०वी० का सोहना में और 66 के०वी० का क्यू ब्लाक गुड़गांव में। दान सिंह जी के हल्के के बारे में भी बता दिया है, स्पीकर साहब, हमने इनके हल्के के दोनों उपकेन्द्र बना दिये हैं। इन्होंने भी मेरे जवाब को सुन लिया होगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी मैम्बर साहेबान बैठ जायें। (शोर एवं विघ्न) पूर्ण सिंह डाबड़ा जी आप अपनी सप्लीमेन्टरी पूछें।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जहां-जहां उपकेन्द्रों की अपग्रेडेशन करनी है, उस बारे में बता दिया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो फार्म हाउसिज हैं जिनको ढाणियां भी कहते हैं क्या उनको भी बिजली देने का प्रावधान करेंगे।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली है। यदि कहीं पर बिजली नहीं है तो उस बारे में माननीय साथी लिखकर दे दें। हम ढाणियों में तो क्या घर-घर में बिजली दे देंगे। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, मैंने पूर्ण सिंह डाबड़ा के सवाल के बारे में डिटेल में बताया है कि कौन-कौन से उपकेन्द्र आगुमैन्टेशन हो चुके हैं और जो चालू हो चुके हैं उनकी पूरी रिप्लाई इसलिए नहीं पढ़ी, कि ये अब कहने लग जाएंगे कि हमारी तो तसल्ली हो गई है। (शोर एवं विघ्न) वैसे जयप्रकाश जी की भी तसल्ली हो गयी होगी। (शोर एवं विघ्न) यमुनानगर में तो तुम्हारे वोट नहीं रहे। अगली बार तुम्हारी जो स्थिति होगी उसका तुम ध्यान रखना। अब तुम 21 से 20 तो हो गये लेकिन अगली बार तुम इन माइयों की तरह 20 से 2 रह जाओगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। * * * * * *

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

Tubewell Connections

***900. Sh. Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the tubewell connections are being released by the Power Distribution Utilities ; and

(b) if so, the number of connections since the year 1992 to till date ?

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान, बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 1992-93 से फरवरी 2002 तक 44969 नलकूप कनैक्शन जारी किए गए हैं।

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1992 के बाद से सालवाईज कितने नलकूपों के कनैक्शन दिए गए। साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि ऐसे कनैक्शंज देने के लिए सरकार द्वारा क्या नई स्कीमें जारी की गई हैं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मेरे साथी ने यह जानना चाहा कि सालवार नलकूपों के कितने कनैकशन दिए गए हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1993-94 में 4234, 1994-95 में 3233, 1995-96 में 2647, 1996-97 में 1859 कनैक्शन दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी श्री बंसी लाल जी के शासनकाल में 1997-98 में 960 और 1998-99 में 783 कनैक्शंज दिए गए हैं। (शोर एवं विघ्न) वर्ष 1999-2000 में 820, वर्ष 2000-2001 में 9450, वर्ष 2001-2002 में 6607 कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं और स्पीकर सर, इससे ज्यादा क्या करेंगे। पिछले 7 सालों में 14582 नलकूपों के कनैक्शन्ज़ दिए गए और पिछले दो वर्षों में 16877 कनैक्शन्ज़ जारी किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जानकारी चाही है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप किस लिए खड़े हुए हैं, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विघ्न एवं शोर) नो-नो.. आप लोग बैठें। (विघ्न एवं शोर) बोलने के लिए आपको अलाउ नहीं किया गया है, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने सप्लीमैंट्री पूछी है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। सर्वप्रथम तत्काल योजना चलाई। तत्काल योजना के अन्तर्गत हमने किसान से कहा कि 20 मीटर की लम्बाई के कनैक्शन के लिए 10,000 रुपये या एक पोल के लिए 20 हजार रुपये जमा करवाएं और नलकूप का कनैक्शन लें। इस योजना के तहत 7903 कनैक्शन्ज़ दिए गए। स्पीकर सर, इस योजना का कितना रिसपोंस था इसका अन्दाजा दिए गए कनैक्शनों से लगाया जा सकता है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से तत्काल स्कीम में यह बात थी कि ट्रांसफार्मर में अगर स्पेयर लोड होगा तभी कनैक्शन दिया जाता था। स्पीकर सर, इसके साथ एक और स्कीम तत्काल ट्रांसफार्मर की चलाई गई जिसका नाम रखा गया अपना ट्रांसफार्मर स्कीम। इस स्कीम के तहत एच०टी० 2 स्पैन के लिए 45 हजार रुपये तथा 2 से 3 स्पैन तक के लिए 60 हजार रुपये और 3 से अधिक स्पैन के लिए 7 हजार रुपये पर स्पैन ऐक्स्ट्रा के हिसाब से अदा करने होंगे। स्पीकर सर, इसके तहत 1570 कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, इससे बाद एक और स्कीम चलाई गई। जिस प्रकार से अगर ट्रांसफार्मर में स्पेयर लोड होता था तो पहली स्कीम के अन्तर्गत तभी कनैक्शन दिया जाता था। (विघ्न) अब उपभोक्ता को एक स्पैन के लिए 30 हजार और 20 मीटर की लम्बाई के लिए 20 हजार रुपये

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

जमा करवाने होंगे। इसमें यह है कि अगर उस ट्रांसफार्मर में लोड स्पेयर नहीं होगा तो निगम द्वारा उसका प्रबन्ध किया जायेगा। इसके अलावा अगर उस ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होगी तो निगम द्वारा उसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। स्पीकर सर, इसके तहत 4429 कनैक्शन दिए गए और 2800 दरखास्तें लम्बित हैं। तीन महीने में इनको कनैक्शन दे दिए जाएंगे। स्पीकर सर, इसी प्रकार से अब जो योजना चलाई गई है उसके तहत 31-3-1997 तक की टैस्ट रिपोर्ट्स जमा हैं वे 20 हजार रुपये रजामन्दी के साथ जमा करवाएंगे और अतिरिक्त 7 हजार रुपये प्रति एच०टी० या एल०टी० फी स्पैन के हिसाब से जमा करवाएंगे तो कनैक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। स्पीकर सर, इस स्कीम के तहत आवेदन मांगे गए हैं और इसको 31-12-2002 तक बढ़ाने का भी विचार है। 77 हजार दरखास्तें लम्बित हैं और 3 से 5 साल की अवधि में सब को कनैक्शन्ज दे दिए जाएंगे। टैस्ट रिपोर्ट का जो बैकलॉग होगा उसको पूरा कर दिया जाएगा। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर सर, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, जय प्रकाश जी, आप दोनों अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (विघ्न) यह कोई ठीक तरीका नहीं है (विघ्न) आप बैठ जाएं। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) आप बैठ जाएं। जय प्रकाश जी, सभ्य बनो। (विघ्न) Be cultured, (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने बताया था कि कितने कनैक्शन हमने दिए हैं और इनकी सरकार में कोई कनैक्शन नहीं दिया गया है। मैंने बताया है कि जो प्रयास हमने किए 7 साल का शासन एक तरफ और दो साल का शासन एक तरफ। स्पीकर सर, किसान भी भली प्रकार से इनको समझते हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Desilting of Ghel Drain

***1040. Smt. Veena Chhiber :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen and desilt the Ghel Drain from Ambala city to River Ghaggar ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) घेल ड्रेन को चौड़ा करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक घेल ड्रेन की गाद निकालने का सम्बन्ध है, यह कार्य अप्रैल 2002 में शुरु किया जाएगा।

(ख) घेल ड्रेन की गाद निकालने का कार्य 30-6-2002 तक पूरा करने की सम्भावना है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Holding of Election of M.C., Beri

***941. Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hold the election of Municipal Committee, Beri in near future ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : हां, श्रीमान जी। आशा है कि नगरपालिका, बेरी की वार्डबन्दी जून, 2002 में पूरी कर ली जायेगी। तत्पश्चात, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 3 ए के प्रावधान अनुसार राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवायेगा।

Laying of Sewerage in Hodel and Hasanpur

***955. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide sewerage in Hodel and Hasanpur under the Yamuna Action Plan ;

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह प्रस्ताव यमुना एक्शन प्लान भाग-II में सम्मिलित है तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् क्रियान्वित किया जायेगा।

Opening of I.T.I. at Nahar

***950. Smt. Anita Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. in village Jhal or Nahar, District Rewari ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Laying of Sewerage in Barwala City

***978. Shri Jai Parkash Barwala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay sewerage system in Barwala City ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Expansion of Power Projects

***920. Sh. Padam Singh Dahiya**
Sh. Bhupinder Singh Hooda } : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government for the expansion of Power Generation projects in the State ; if so, the detail thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हां श्रीमान्, हरियाणा में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई बिजली उत्पादन परियोजनाएं चालू की जा रही हैं या चालू की जानी प्रस्तावित हैं :-

परियोजना	क्षमता मैगावट में	प्रतिदिन बिजली (यूनिट लाखों में)	चालू होने की अस्थाई तिथि
प०य०न० पन बिजली (चरण-2)	14.4	3	2002-2003
ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन पानीपत ईकाई-7 एवं 8	500	100	2004-05
यमुनानगर थर्मल परियोजना चरण-1	500	100	2005-07
यमुनानगर थर्मल परियोजना चरण-2	500	100	2005-07
मैसर्ज आईओसी पैट्रो-कोक पर आधारित परियोजना, पानीपत	360	30	2005-06
फरीदाबाद गैस पर आधारित परियोजना चरण-2	432	90	2006-07
हिसार थर्मल परियोजना चरण-1	500	100	11वीं योजना

Shifting of Meter Testing Laboratory

***1053. Sh. Jagjit Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Electricity Meter Testing Laboratory and Goods Store, Sub-Division, Charkhi Dadri of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam have been shifted ; if so, the reason thereof ; together with the place where these were shifted ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चरखी दादरी में मीटर जांच प्रयोगशाला तथा मंडलीय स्टोर (जिसको माल-गोदाम के रूप में संदर्भित किया गया है) को कार्यभार कम होने, इलैक्ट्रोनिक मीटरों के प्रचलन, और मीटर तथा ट्रांसफार्मरों को जारी करने के लिए विकेन्द्रीयकरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया है।

Construction of Bridge on Railway Crossing

***823. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct over bridges across the Railway crossing on the Rewari-Narnaul and Rewari-Jhajjar-Rohtak roads ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridges are likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) रेवाड़ी-नारनौल सड़क पर रेलवे लैवल क्रासिंग नं0 58-ए के स्थान पर सड़क उपरी पुल बनाने का प्रस्ताव है। रेवाड़ी-झज्जर-रोहतक सड़क पर लैवल क्रासिंग पर सड़क उपरी पुल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) रेवाड़ी-नारनौल सड़क पर रेलवे लैवल क्रासिंग नम्बर 58-ए के स्थान पर सड़क उपरी पुल बनाने के लिए बोलियां आमन्त्रित की जा चुकी हैं। इस समय इस कार्य की पूर्ण होने की पक्की तिथि नहीं बताई जा सकती।

Construction of Road

***1006. Smt. Sarita Narain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from College Mor (diversion) to Bus Stand, Kalanaur upto Octroi with cement concrete ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : इस सड़क को तारकोली परतें डालकर वर्ष 2002-03 में सुदृढ़ किया जायेगा।

Capacity of Jind Sugar Mill

***852. Shri Sher Singh :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the crushing capacity of Sugar Mill, Jind is inadequate for the Sugarcane growing area of the region ; and

(b) if the reply to part 'a' above be in affirmative, the steps taken or proposed to be taken to increase the crushing capacity of the said Sugar Mill ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Desilting of Canals

***1011. Sh. Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the canals of Badhra constituency ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid canals are likely to be desilted ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) बादड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जहां आवश्यकता है वहां नहरों से गाद निकालने का कार्य वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है।

Charging of Fee for Post-Mortem

***827. Dr. Sita Ram :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that fee of Rs. 100/- is being charged for the post-mortem in the Government Hospitals ; and

(b) if the reply to part (a) above is in affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to withdraw the above said fee ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डॉ० एम० एल० रंगा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Foreign Trips by C.M., Haryana

***1041. Shri Karan Singh Dalal**
Shri Krishan Pal } : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister of Haryana undertook foreign visit alongwith the Officers of the State Government and others during the year 2000-2001 and 2001-2002 ; if so, the details thereof together with the names of the persons who accompanied him ;

(b) the details of the expenditure incurred on the journey referred to in part 'a' above ; and

(c) whether any foreign Entrepreneurs have established and Industry in the State as a result of the aforesaid journey ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क), (ख) व (ग) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सूचना

(क) मुख्य मंत्री, हरियाणा ने वित्त मंत्री, हरियाणा सहित निम्नलिखित अधिकारियों तथा पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा इण्डस्ट्री के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ दिनांक 8 अक्तूबर, 2000 से 17 अक्तूबर, 2000 तक सिंगापुर, जापान, कोरिया तथा हाँगकांग की यात्रा की थी :-

1. श्री विष्णु भगवान, आई०ए०एस०, तत्कालीन मुख्य सचिव, हरियाणा।
2. श्री एस० वाई० कुरैशी, आई०ए०एस०, मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव।
3. श्री पी० के० चौधरी, आई०ए०एस०, तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, उद्योग।
4. डा० हरबख्श सिंह, आई०ए०एस०, प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम।
5. श्री संजीव कौशल, आई०ए०एस०, मुख्यमंत्री के तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव।
6. डा० सतवीर सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्यमंत्री।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, निजी सुरक्षा अधिकारी/मुख्यमंत्री।
8. श्री सूरजभान, निजी सुरक्षा अधिकारी-II/मुख्यमंत्री।
9. श्री के० एल० ढींगरा, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक (वित्त), हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम।
10. श्री हरीश कुमार घई, तत्कालीन प्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम।

वर्ष 2001-2002 के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा कोई विदेश यात्रा नहीं की गई।

(ख) (1) यात्रा/आवास/स्थानीय यात्रा/ दैनिक भत्ते पर खर्च 35,07,288/-

(2) रोड शोज़/बिजनैस मीट्स के आयोजन पर खर्च 11,76,991/-

(ग) इस यात्रा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कम्पनियों ने नई परियोजनाओं के लिए अथवा अपनी परियोजनाओं के विस्तार के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम से भूमि खरीदी है। इन प्रोजैक्टों पर 520 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश अर्जित होगा।

	कम्पनी का नाम	पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)
1.	नगाटा इण्डिया प्रा० लि० (नया प्रोजैक्ट)	12.50
2.	मारुति सुजुकी एल्यूमिनियम फाउण्डरी (नया प्रोजैक्ट)	210.00
3.	वाई०के०के० इण्डिया लि० फेस-II (विस्तार प्रोजैक्ट)	97.20
4.	स्टेनले इलैक्ट्रिकल लि० (नया प्रोजैक्ट)	20.00
5.	होण्डा मोटर साईकिल एण्ड स्कूटर लि० (फेस-II) (विस्तार प्रोजैक्ट)	180.00
	कुल	**519.70**

इसके अतिरिक्त, इन देशों के सहयोग से 18 कम्पनियां (विवरण अनुबन्ध-"क" पर है) नई परियोजनाओं व मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार पर पूंजी निवेश कर रही हैं।

अनुबन्ध-"क"

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, 2000 के दौरान जापान, कोरिया, हांगकांग तथा सिंगापुर की विदेश यात्रा के पश्चात्, इन देशों के सहयोग से जिन कम्पनियों द्वारा नये/अतिरिक्त निवेश करने की प्रक्रिया की जा रही है, की सूची।

क्र० सं०	देश का नाम	कम्पनी/प्रोजैक्ट का नाम
1.	जापान	मै० सोना सोमिक लैमफोर्डर कम्पोनेंट्स, गुड़गांव।
2.	जापान	मै० नैथानी टूडे सोफ्टवेयर सिस्टम्स, गुड़गांव।
3.	जापान	मै० सनस्टार सी०सी०आई० प्रा०लि०, गुड़गांव।
4.	जापान	मै० ए०एस०के० ऑटोमोटिव प्रा०लि०, गुड़गांव।
5.	जापान	मै० केसिओं इण्डिया कम्पनी लिमिटेड, गुड़गांव।
6.	जापान	मै० जे०एन०एस० इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, गुड़गांव।
7.	सिंगापुर	मै० स्ट्रैटेजिक लर्निंग सोलूशनस प्रा०लि०, गुड़गांव।
8.	दक्षिण कोरिया	मै० चेंग यून इण्डिया लिमिटेड, गुड़गांव।
9.	जापान	मै० सिअल लिमिटेड, फरीदाबाद।
10.	जापान	मै० सन स्टीयरिंग व्हील्स प्रा० लि०, गुड़गांव का विस्तार।
11.	जापान	मै० जय युशिन लिमिटेड, गुड़गांव का विस्तार।
12.	जापान	मै० कृष्णा मारूति लिमिटेड, गुड़गांव का विस्तार।
13.	जापान	मै० मारक एग्जास्ट सिस्टम्स लि०, गुड़गांव का विस्तार।
14.	जापान	मै० असाही इण्डिया सेफ्टी ग्लास लि०, रिवाड़ी का विस्तार।
15.	जापान	मै० मारूति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव का विस्तार।
16.	जापान	मै० सोना ओकेगावा प्रीसिज़न फोर्जिंग लि०, गुड़गांव का विस्तार।
17.	जापान	मै० सन्दन विकास (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद का विस्तार।
18.	जापान	मै० गैलिअम इण्डस्ट्रिज़ लिमिटेड, फरीदाबाद का विस्तार।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads

93. Shri Nafe Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of the following roads, which were sanctioned by the Government is likely to be started :—

(i) from Hasangarh (District Rohtak) to Kulasi (District Jhajjar) via Nilauthi ;

(ii) from Kanonda (District Jhajjar) to Barai (District Jhajjar) ;

(iii) from N.H. No. 10 to Gaushala Mandothi (District Jhajjar) ;

(iv) from Dehkora (District Jhajjar) to Asaudha (District Jhajjar) ; and

(v) Kasar (District Jhajjar) to Nuna Majra (District Jhajjar) ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : क्र० संख्या (ii) तथा (v) पर दर्शाए गए कार्य स्वीकृत हैं तथा क्र० संख्या (v) सड़क का कार्य पहले ही शुरु किया जा चुका है। क्र० संख्या (ii) सड़क का कार्य धन की उपलब्धता पर शुरु किया जाएगा। क्र० संख्या (i), (iii) व (iv) के कार्य स्वीकृत नहीं हैं इस लिये, प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Disposal System

94. Sh. Nafe Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of the disposal system under the Yamuna Action Plan in Bahadurgarh, Distt. Jhajjar is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : यह प्रस्ताव यमुना एक्शन प्लान भाग-II की स्वीकृति आने के पश्चात् क्रियान्वित किया जायेगा।

Upgradation of Civil Hospital, Bahadurgarh

95. Sh. Nafe Singh Rathi : Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Civil Hospital in Bahadurgarh city ; if so, the time by which the said Hospital is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डा० एम०एल० रंगा) : जी, नहीं।

Setting up of Power Houses at Bahadurgarh

96. Sh. Nafe Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 220 KV & 400 KV Power House at Bahadurgarh ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, भारत सरकार के पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा बहादुरगढ़ में एक 400 के०वी० उपकेन्द्र तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा एक 220 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) दोनों उपकेन्द्रों को वर्ष 2002-2003 में शुरु किए जाने की योजना है तथा ये उपकेन्द्र वर्ष 2005-06 तक पूर्ण किए जाने संभावित हैं।

Providing of Cars to Ministers

97. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Ministers in the State have been provided extra cars than their entitlements ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी नहीं।

Human Rights Commission

102. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered, disposed and taken cognizance by National Human Rights Commission from the State of Haryana since 1994 yearwise ;

(b) the steps are being taken by the Government to prevent the Human Rights violations in the State ;

(c) whether there is any proposal under consideration of the government to set up Human Rights Commission at the State level to expedite the cases ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी मामलों की वर्षवार सूचना

क्रम सं०	वर्ष	पंजीकृत केसों की संख्या	विचार किये गये केस	केस जो प्रोसैस किये गये परन्तु विचार हेतु लम्बित हैं
1.	1994-95	161	134	27
2.	1995-96	300	300	0
3.	1996-97	525	394	131
4.	1997-98	1212	769	443
5.	1998-99	1725	724	1001
6.	1999-2000	इन वर्षों के लिए सूचना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उपलब्ध नहीं करवाई है क्योंकि आयोग के अनुसार अभी इसे अन्तिम रूप दिया जाना है।		
7.	2000-2001			
8.	2001-2002			

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(ख) **मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए कदम**

1. राज्य सरकार मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति सजग एवं पूर्णत: कटिबद्ध है। पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मधुबन में मानवाधिकार विषय सामग्री पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नियमित रूप से शामिल की गई है।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस हिरासत में मृत्यु अथवा बलात्कार के सम्बन्ध में पारित आवश्यक निर्देशों की पालना सख्ती से की जाती है। पुलिस हिरासत में किसी भी मृत्यु की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाती है तथा पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाती है। उक्त दोनों रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पर्यवेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जाती है।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री दिलीप कुमार बासु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य की एक याचिका क्रि० रिट नं० 539/1986 तथा 592/1987 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पारित विशेष निर्देशों की पालना हेतु सभी प्रवर पुलिस अधीक्षकों को बारम्बार निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मधुबन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल किया गया है।
4. राज्य पुलिस मुख्यालय में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ "मानवाधिकार प्रकोष्ठ" गठित है। यह मानवाधिकार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य पुलिस इकाइयों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। यह प्रकोष्ठ राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करके यथोचित न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह विशेष प्रकोष्ठ मानवाधिकार शिक्षा व जागृति हेतु कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

Water Logging

101. Sh. Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the villages adjacent to Loharu Canal such as Charkhi, Kheri Bura, Kheri Battar, Birhi Kalan, Pandian, Birhi Khurd, Mehra, Barsana and Tiwala are affected from water logging badly ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to check the aforesaid water logging ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) सेम की समस्या पर काबू पाने के लिए लोहारू नहर के दोनों तरफ रिसाव निकासी ड्रेन बनाई गई है। इसके अतिरिक्त लोहारू नहर की लाईनिंग की बुर्जी 1000 से 44500 तक दोनों तरफ के जोड़ों को भी भरा गया है।

शोक प्रस्ताव

12.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री जी एक शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सैशन के दौरान परसों एक स्वतन्त्रता सेनानी का निधन हो गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में इस बारे में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं-

अध्यक्ष महोदय, यह सदन 11 मार्च, 2002 को गांव तुर्कपुर, जिला गुड़गांव के काशी राम, स्वतंत्रता सेनानी के हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रस्तुत करता है।

उनका जन्म 1917 में हुआ था। सन् 1937 में वे ब्रिटिश इण्डियन आर्मी में भर्ती हुए थे और उसके बाद वे आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गए थे। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए वे कई बार जेल भी गए थे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (मेवला-महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसमें मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

कैप्टन अजय सिंह (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसमें मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं भी उसके साथ अपने को जोड़ता हूं और सदन की भावना शोकाकुल परिवार के पास भेज दी जाएगी और अब मैं सभी मैम्बर्ज से निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण के लिए खड़े हो जाएं।

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 14th March, 2002.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 14th March, 2002.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 14th March, 2002.

The motion was carried.

बजट 2002-2003 प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Budget Estimates for the Year 2002-2003.

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्ष 2002-2003 का बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूं। वर्ष 2000 के चुनावों में भारी बहुमत से जीतने के बाद इस सरकार का यह तीसरा बजट है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार की नीतियों और कार्यों को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, और यह तथ्य हाल ही में यमुनानगर विधानसभा उप चुनाव के परिणाम से स्पष्ट है।

2. पिछले बजट प्रस्तुत करते समय हमारे सामने आई वित्तीय चुनौतियों का मैंने उल्लेख किया था। यह आशा की थी कि देश मंदी के दौर से उभरेगा तथा आर्थिक परिदृश्य में भी अनुकूल परिवर्तन होंगे।

3. मगर विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार आशानुरूप नहीं हुआ है। हाल ही में हमने विश्व राजनीतिक परिदृश्य पर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है। पिछले वर्ष 11 सितम्बर को अमेरिका में हुई भीषण घटनाओं ने आतंकवाद के खौफ को टेलीविज़न के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचा दिया। 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर किया गया आतंकवादी हमला प्रजातंत्र की आत्मा और भारतीय राष्ट्रीयता पर एक प्रहार था। किन्तु इस अनुभव ने न केवल हमें और मज़बूत बनाया है, बल्कि पूरा विश्व आज आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता पर हमारे विचारों से सहमत है। लेकिन अशान्त गतिविधियों से विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे हमारा राज्य भी कई प्रकार से प्रभावित हुआ है।

4. अब मैं राज्य की वित्त व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2001-02 नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है एवं वर्ष 2002-03 से दसवीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हो रहा है। अत: यह आवश्यक है कि हम नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अपनी उपलब्धियों पर विचार व उनका मूल्यांकन करें ताकि आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए उचित रणनीति तैयार कर सकें।

5. हरियाणा सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए 11,600 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यत: आर्थिक मूलभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया था। हमने इस अवधि में भौतिक मूलभूत सुविधाओं के विकास की कुछ महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं आरम्भ की थीं। विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन समेकन परियोजना एवं विद्युत सुधार परियोजना इस प्रकार की दो मुख्य परियोजनाएं थीं। हरियाणा राजमार्ग सुधारीकरण परियोजना, जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जाना था, अब उसे कई चरणों में हुड्को से ऋण लेकर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन वार्षिक योजनाओं में भौतिक आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्रमुखता दी गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसके लिए औसतन 726 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यद्यपि अच्छे स्तर के भौतिक तथा आर्थिक ढाँचे के निर्माण को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, फिर भी आगामी वर्षों में भी इस पर ध्यान दिया जाता रहेगा।

6. हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में 11,600 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। परन्तु कुछ कारणों से हमारी राजस्व प्राप्तियाँ प्रभावित हुई हैं। कुल मंदी के माहौल से केन्द्रीय करों के अन्तरण में कमी आई। मद्यनिषेध की अवधि में राज्य की कर वसूली प्रभावित हुई थी। वर्ष 1998 में वेतनमानों में संशोधन से खर्चों में भी खासा वृद्धि हुई। इनको ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वार्षिक योजनाओं को वास्तविक आधार पर संशोधित किया गया है। चालू वार्षिक योजना में 1838.68 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान किया गया है। 1997-2002 की अवधि में 8638.68 करोड़ रुपये की कुल योजनागत व्यय का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। इस संशोधित अनुमानों के मुकाबले 8052.31 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान का 93.2 प्रतिशत है।

7. इसके मद्देनजर हमारी सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 11,250 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया है। यह हमारे संसाधनों के वास्तविक अनुमान एवं वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले आर्थिक सुधारों पर आधारित है।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था

8. 1993-94 के स्थिर मूल्यों के आधार पर, वर्ष 2000-01 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में 6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1999-2000 के 31,045 करोड़ रुपये से बढ़कर 32,921 करोड़ रुपये हो गया। मौजूदा मूल्यों के अनुसार देखें तो अर्थव्यवस्था में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद 48,270 करोड़ रुपये से बढ़कर 53,787 करोड़ रुपये हो गया है। क्षेत्रवार समीक्षा से यह पता चलता है कि वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत एवं तृतीय क्षेत्र में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान, जो 1993-94 में 42.5 प्रतिशत था, 2000-01 में 33 प्रतिशत रह गया। द्वितीय क्षेत्र का अंशदान 1993-94 में 26.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 28.1 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र का अंशदान 1993-94 में 31.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-01 में बढ़कर 38.9 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था सही दिशा में अग्रसर है। स्थिर मूल्यों के आधार अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1999-2000 के 13,709 रुपये से बढ़कर 2000-01 में 14,331 रुपये हो गई है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

9. नौवीं योजना में राज्य के अपने राजस्व, विशेषकर कर राजस्व का योगदान सराहनीय रहा है, जबकि केन्द्रीय करों का अन्तरण निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा है। नौवीं योजना अवधि के दौरान हमारी गैर-कर प्राप्तियां, विशेषकर विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्तियों में भी बढ़ौतरी हुई है।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना के 'एप्रोच पेपर' में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विकास की व्याख्या जन-कल्याण की वृद्धि के रूप में की गई है। इसलिये गरीबी उन्मूलन, प्रारंभिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। दसवीं योजना के दौरान आर्थिक विकास के लिये जरूरी मूलभूत ढाँचे के निर्माण के साथ-साथ हम सामाजिक कल्याण के वातावरण की बेहतरी के लिये निवेश करने के प्रयास करेंगे। कृषि क्षेत्र इस सरकार की प्राथमिकता है और बनी रहेगी।

11. वार्षिक योजना 2002-03 का परिव्यय 1922.50 करोड़ रुपये रखा गया है, जो कि चालू वर्ष के 1838.68 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय की तुलना में 4.5 प्रतिशत ज्यादा है। इस परिव्यय में राज्य के अपने साधनों से 1466.44 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सहायता से 456.06 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे।

12. कुल योजना परिव्यय की 42.13 प्रतिशत राशि बिजली, सिंचाई, सड़क एवं परिवहन क्षेत्रों के लिये है। सिंचाई के लिये 300 करोड़ रुपये, सड़क तथा परिवहन के लिये 335.20 करोड़ रुपये और बिजली क्षेत्र के लिये 166.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सेवाओं के लिये 710.90 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 308 करोड़ रुपये वृद्धों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिये हैं। शिक्षा के विस्तार पर विशेष बल देते हुए 96.95 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। पेय जल आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु 77.00 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 69.30 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मेवात एवं शिवालिक क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजनाओं के अन्तर्गत 27.94 करोड़ रुपये तथा महिला एवं बाल विकास के लिये 12.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधान मन्त्री ग्रामोदय योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आवास तथा विद्युतीकरण के लिये 18.79 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सिंचाई एवं बिजली क्षेत्रों में परोक्ष निवेश के अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र के लिये 50.76 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश किया जायेगा।

विद्युत

13. निस्सन्देह, जल और विद्युत राज्य की अर्थ व्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं। इस लिये ऊर्जा क्षेत्र हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। वर्ष 2001-02 में बिजली सप्लाई बढ़कर 481 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई है। इसमें से 247 लाख यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई है। चालू वर्ष के दौरान राज्य के ताप बिजली केन्द्रों में प्लांट लोड फैक्टर बढ़कर 59.78 प्रतिशत हो गया तथा अप्रैल से नवम्बर, 2001 के दौरान 3383 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

14. भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न जारी हैं। ताऊ देवीलाल ताप बिजली केन्द्र, पानीपत में 250-मैगावाट के दो नये यूनिट

स्थापित किये जा रहे हैं। सरकार फरीदाबाद में गैस आधारित परियोजना के दूसरे चरण में 432 मैगावाट व यमुनानगर और हिसार में ताप बिजली परियोजनाएं शीघ्र आरम्भ के लिए प्रयत्नशील है। पानीपत में भारतीय तेल निगम के प्रस्तावित पैट्रोलियम अवशेष आधारित 360 मैगावट के बिजली संयत्र से बिजली खरीदने के लिए भी बातचीत चल रही है। केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्यों में लगने वाली नई परियोजनाओं से भी अतिरिक्त बिजली खरीदने के प्रयास जारी हैं।

16. बिजली के पारेषण और वितरण प्रणाली में काफी सुधार किया गया है। जब से हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली है, 185 करोड़ रुपये की लागत से 20 नये उपकेन्द्र चालू किये गये हैं तथा 102 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 700 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य जारी हैं जिन्हें अगले 18 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। वितरण प्रणाली को काफी हद तक सुदृढ़ किया जा रहा है जिसमें अधिक लोड वाले 11 के०वी० फीडरों का विभाजन, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करना, कन्डक्टर के आकार में वृद्धि करना, तथा पुरानी एल०टी० तारों को बदलना इत्यादि शामिल है। भारत सरकार के त्वरित बिजली विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद तथा हिसार के चार परिमण्डलों की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। भविष्य में और परिमंडल इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाएंगे। इसके परिणास्वरूप, वर्ष 2000-01 के दौरान वितरण ट्रांसफार्मरों के जलने की दर में 7 प्रतिशत तक कमी हुई तथा चालू वर्ष में 4 प्रतिशत और कमी आने की उम्मीद है। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ट्रांसफार्मर तथा मीटर बैंक स्थापित किए गए हैं।

16. खेती के लिए ट्यूबवैलों के कनैक्शन देने में प्रगति हुई है। वर्ष 2000-01 के दौरान 10,000 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए थे तथा चालू वर्ष में 10,000 और कनैक्शन दिये जाएंगे। घरेलू तथा गैर-घरेलू कनैक्शन देने में कोई प्रार्थना पत्र बकाया नहीं है तथा अब नये आवेदकों को भी 15 दिनों के अन्दर नये कनैक्शन देने की व्यवस्था की गई है।

17. व्यावसायिक स्तर पर बकाया बिजली बिलों की वसूली करने के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। 'अधिभार माफी' जैसी योजना से जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक के दौरान बिजली के बकाया बिलों की 820.40 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वर्ष 2000-01 के दौरान राजस्थ निर्धारण 260 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष के प्रथम 6 महीनों में 394 करोड़ रुपये बढ़ गया है। वर्ष 2000-01 में राजस्व वसूली 389 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष के प्रथम 6 माह के दौरान 266.04 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बिजली क्षेत्र का व्यावसायिक घाटा वर्ष 1999-2000 में 633.34 करोड़ रुपये से कम होकर 2000-01 में 226.90 करोड़ रुपये रह गया है। चालू वर्ष में बिजली संस्थाओं की व्यावसायिक कार्यकुशलता को और सक्षम बनाया जा रहा है।

वर्ष 2002-03 में बिजली क्षेत्र के लिए कुल 1144.10 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेतर प्रावधान रखा गया है।

जल संसाधन

18. हरियाणा के विकास और समृद्धि के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की उपलभ्यता अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश, सतलुज यमुना लिंक नहर के द्वारा हरियाणा को जो पानी मिलना था, वह अभी तक नहीं दिया गया है जिसके कारण हरियाणा के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

हमारा तर्क माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 जनवरी, 2002 को मान लिया गया है तथा न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण एक वर्ष के अंदर पूरा करे। हम आशा करते हैं कि पंजाब सरकार इस नहर को शीघ्र पूरा करेगी, ताकि हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में एक नए दौर की शुरुआत हो सके।

19. माननीय सदस्यगण, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकन परियोजना दिसम्बर, 2001 में समाप्त हो गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी सिंचाई प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्य किया गया। खालों को पक्का करने व नहरों पर रेगुलेटरों की मरम्मत पर कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हथनी कुन्ड बैराज, पथराला बांध व ओटू वियर जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पूर्ण हुए हैं। 305 नये खालों के निर्माण तथा 213 पुराने खालों के पुनर्निर्माण पर 50 करोड़ रुपये खर्च करके 20,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचित किया गया है।

20. कमाण्ड क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी से जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल संसाधन समेकन परियोजना की उपलब्धियों को संचित कर हमारी सरकार सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। जल संसाधन समेकन परियोजना के दूसरे चरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क किया गया है।

21. सिंचाई प्रणाली के तेज़ी से पुनर्निर्माण तथा विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नाबार्ड से ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता ले रही है। अब तक ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि के अन्तर्गत 394.43 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

वर्ष 2002-03 में सिंचाई विभाग के लिए कुल 767.20 करोड़ रुपये की योजना एवं योजनेतर परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सड़कें तथा पुल

22. सड़कें आर्थिक विकास के लिए मुख्य आधारभूत सरंचना है। वर्ष 1966 में 5100 किलोमीटर लम्बी सड़कों के मुकाबले अब लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 22,960 किलोमीटर एवं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित 6000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, दिसम्बर 2001 तक 327 किलोमीटर की नयी सड़कें बनाई गई हैं तथा 4118 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया है।

23. मुख्य एवं अन्य ज़िला सम्पर्क सड़कों में सुधार लाने के लिए हुडको की सहायता से 300 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। इनमें से 100 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरु कर दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त पहले दो चरणों में 219.92 करोड़ रुपये की लागत से 1155 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों के सुधार और सामयिक देखभाल का कार्य शुरु किया गया है। इस योजना के तीसरे और चौथे चरण के अन्तर्गत 198.10 करोड़ रुपये की लागत से 853 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि-III तथा IV की सहायता से चलाए जा रहे 62 में से 54 निर्माण कार्य अब तक पूरे

हो चुके हैं। इन पर 30.18 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है जिसमें से 4.18 करोड़ रुपये की राशि चालू वर्ष में खर्च की गई हैं। 23 मुख्य सम्पर्क पुलों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये का नया प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया है।

24. 11वें वित्त आयोग ने हरियाणा राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस निधि से सोनीपत बाई-पास सहित 4 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों के सुधार हेतु 63.08 करोड़ रुपये का एक अन्य प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी आयोजना बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

25. केन्द्रीय सड़क कोष स्कीम के अन्तर्गत राज्य को प्रति वर्ष पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए उपकर में से 31.40 करोड़ रुपया दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 71.37 करोड़ रुपये की लागत से राज्य राजमार्गों और मुख्य ज़िला सड़कों से सम्बन्धित 35 निर्माण कार्य मंजूर किये गये हैं। चालू वर्ष के दौरान 35 करोड़ रुपये की लागत से 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जाएगा। सोहना-नूह-फिरोज़पुर झिरका-अलवर मार्ग को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं, जिससे 1116 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये हैं और उन पर काम चल रहा है।

26. करनाल से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 को चार मार्गी बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है और यह रास्ता वाहनों के लिये खोल दिया गया है। इसके तहत मौजूदा सड़क की मरम्मत के साथ-साथ नयी दो मार्गी सड़क एवं 89 पुल बनाये गये हैं। अम्बाला में उन्नत राजमार्ग और ग्रेड सेपरेटर भी इस निर्माण कार्य में दो मुख्य कार्य हैं। वर्तमान राजमार्गों को चौड़ा करने के कार्य में सुधार लाने के लिए चालू वर्ष में 29 करोड़ रुपये की लागत से 160 लम्बे किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान बहादुरगढ़ से रोहतक तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 को चार मार्गी बनाने के लिए तथा रोहतक बाईपास के लिए 26.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

27. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भी ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काफी राशि खर्च की जा रही है। चालू वर्ष में बोर्ड ने 39.69 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर तथा 73.23 करोड़ रुपये नई योजक सड़कों के निर्माण पर खर्च किए हैं।

वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में भवनों एवं सड़कों के लिए कुल 551.13 करोड़ रुपये के योजना एवं योजनेतर खर्च का प्रावधान किया गया है।

परिवहन

28. हमारी सरकार ने परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की 3500 बसों में प्रतिदिन 11 लाख से अधिक लोग यात्रा करते हैं। पिछले दो वर्षों में 1100 पुरानी बसें बदली गई हैं तथा चालू वर्ष में 407 बसें तथा अगले वर्ष में 593 पुरानी बसों को बदलने की योजना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चालू वर्ष में 50 करोड़ रुपये एवं बजट अनुमान 2002-03 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

29. ठोस प्रयत्नों के परिणामस्वरुप, हरियाणा राज्य परिवहन का कर-पूर्व लाभ देश के समस्त राज्य परिवहन उपक्रमों में सबसे अधिक है। वर्ष 1999-2000 में 26.14 करोड़ से बढ़कर यह वर्ष

[प्रो० सम्पत सिंह]

2000-01 में 65.80 करोड़ रुपये हो गया है। अप्रैल-दिसम्बर 2001 के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन ने राज्य के वित्तीय संसाधनों में 87 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

30. चालू वर्ष में रोहतक बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, और कालका तथा थानेसर में नये बस अड्डे बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। ग्रामीण यात्रियों की सुविधा के लिए अनेकों बस क्यू शैल्टरों का निर्माण भी किया जा रहा है। भूमि अर्जन और भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष और आगामी वित्त वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बसों के बेहतर रख रखाव के लिए रोहतक, बल्लभगढ़ और झज्जर में आधुनिक कार्यशालाएं बनाई जा रही हैं और वर्तमान कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

31. हमारी सरकार यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य से गुजरने वाले चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के सुचारीकरण और प्रबन्धन कार्य के लिए 'हरियाणा हाईवे पेट्रोल' नामक नये संगठन की स्थापना की गई है। यह संतोष की बात है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 2001 की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

जन स्वास्थ्य

32. हमारी सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति स्तर बढ़ाकर 40, 55 और 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के लिए कटिबद्ध है।

33. चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2002 तक 340 गांवों में पेय जल आपूर्ति के स्तर को बढ़ाया गया है। चालू वर्ष के दौरान पानी की कमी वाले 550 गांवों के लिए 73.89 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष में 650 गांवों में जलापूर्ति स्तर बढ़ाने का लक्ष्य है।

34. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य के अपने संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के तहत प्राप्त वित्तीय संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा। दसवीं योजना के तहत कम जल सप्लाई वाले 1400 गांवों में पेय जल आपूर्ति का स्तर बढ़ाने के लिए 186.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

35. हरियाणा के सभी नगरों में पाइपों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। राज्य और केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन चालू वर्ष में शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए 34.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

36. यमुना कार्य योजना के तहत यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गाँव और फरीदाबाद में 191.39 करोड़ रुपये की लागत से मल शोधन संयत्र और सम्बद्ध कार्य पूरे किये गये हैं। 25.54 करोड़ रुपये की लागत का शेष कार्य इन शहरों में किया जा रहा है। बाद में, यमुना कार्य योजना के अधीन छः शहरों, इन्द्री, रादौर, छछरौली, घरौंडा गोहाना और पलवल में भी यह कार्य आरम्भ किये गये तथा इन शहरों में ये निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

37. यमुना कार्य योजना के द्वितीय चरण में 349.34 करोड़ रुपये की लागत से 18 अन्य शहरों को कवर करने के लिए पूर्व-सम्भाव्यता रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई है। घग्गर नदी में प्रदूषण रोकने हेतु 354.35 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ताकि इसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया जा सके। इसके अधीन घग्गर के साथ लगते 21 शहरों में मल परिशोधन संयंत्र तथा सम्बन्धित कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

38. माननीय सदस्यगण, आपको यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, यमुना नदी में गिरने वाले गन्दे पानी का प्रदूषण स्तर स्वीकार्य स्तर तक नियन्त्रित कर लिया गया है।

जन स्वास्थ्य विभाग के लिए वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में कुल मिलाकर 449.73 करोड़ रुपये के योजना और योजनेतर परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ

39. राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र एक नींव पत्थर की तरह है इसलिए कृषि क्षेत्र को हम लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

40. राज्य में खरीफ 2001 के दौरान अच्छी वर्षा हुई। हमारी सरकार ने भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली मुहैया करवाया है। अतः खरीफ 2001 में 37.19 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया जिसमें 27.10 लाख टन धान शामिल है। प्रतिकूल मौसम के बावजूद, कपास का उत्पादन 7.13 लाख गाँठों तक हुआ। गन्ने का उत्पादन अच्छा रहा जिससे 9 लाख टन गुड़ होने की आशा है।

41. बिजाई के समय सूखे के कारण चालू रबी फसलों, विशेषकर चने व सरसों-तोरिया, की बुवाई कुछ प्रभावित हुई। लेकिन 23.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूँ की बिजाई हुई तथा जौ व अन्य रबी फसलों की बिजाई लक्ष्य से अधिक है। हाल में ही हुई वर्षा से रबी उत्पादन बेहतर होने की सम्भावना बढ़ी हैं। हमें आशा है कि 97 लाख टन गेहूँ, 1.00 लाख टन चना, 1.40 लाख टन जौ, और 10,000 टन दालों का उत्पादन होगा। सरसों व तोरिया का उत्पादन भी लगभग 6.50 लाख टन होने की उम्मीद है। इस बढ़ती हुई उपज का श्रेय हमारे मेहनती किसानों को जाता है जो प्रशंसा के पात्र हैं।

42. यह सर्वमान्य है कि अब फसल-चक्र को बदलना होगा। हमारी फसल पद्धति में विविधिकरण लाने की नितान्त आवश्यकता है तथा अन्दरूनी व बाह्य मार्किट का पूरा फायदा लेने के लिए ऊंची कीमत की अन्य फसलों की ओर ध्यान देना होगा। इस विषय में सतत् प्रयासों से 2001 की खरीफ में साठी धान की बिजाई 25,000 हैक्टेयर तक सीमित हो गयी है। इसी प्रकार धान की मुख्य फसल की बिजाई भी गत वर्ष के 10.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से कम होकर 10.24 लाख हैक्टेयर हो गई है। कपास, गन्ना, मक्का, खरीफ दालें, ग्वार और अधिक मूल्यवान फसलें जैसे बासमती धान, सब्जियाँ और फलों की फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। शीघ्र खराब होने वाले कृषि-उत्पादों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये केन्द्र सरकार को साहा, डबवाली, नरवाना, राई व झज्जर में पाँच फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छी आमदनी की सम्भावना को देखते हुए राज्य सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

43. इस सन्दर्भ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को लागू करने के लिये केन्द्र सरकार ने माइक्रो मैनेजमैंट प्रणाली को अपनाया है। इससे राज्य सरकार को हमारी विशेष जरूरतों के अनुसार कृषि विकास योजनाओं को एक नया रूप देने में सुविधा मिली है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 20.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिनको वर्ष 2002-03 में बढ़ाकर 22.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

44. नई चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने तथा किसान वर्ग को तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की नि:शुल्क हैल्पलाइन, गाँवों के स्तर पर कृषक क्लब, और जीरो-टिल-ड्रिल तकनीक जैसी विस्तार सेवाएं शुरु की गई हैं। (इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

45. अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में विश्व व्यापार संगठन के परिपेक्ष्य में उभरी चुनौतियों के बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। हमने केन्द्र सरकार से अग्रह किया है कि विश्व व्यापार से सम्बन्धित मामलों में नीति निर्धारण से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह की जाये। हमने अनुरोध किया कि कृषि आयातों पर उचित आयात शुल्क लगाये जाएं ताकि किसान वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। अब दूध व दूध से बनी वस्तुओं पर 60 प्रतिशत, गेहूँ पर 100 प्रतिशत तथा चावल पर 80 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है जिससे हमारे किसानों को राष्ट्रीय बाजार में राहत मिली है।

46. हमारी सरकार ने कृषि सम्बन्धित आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं। चालू वर्ष में गेहूँ, धान और जौ के प्रमाणित बीज 200 रुपये प्रति क्विंटल उपदान सहित वितरित किये गए हैं। कपास व दालों के बीजों पर क्रमश: 1000 रुपये व 800 रुपये प्रति क्विंटल उपदान दिया गया है। इस वर्ष किसानों को विभिन्न फसलों के 5.20 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गए। चालू वर्ष में सरकार ने फासफेटिक व पोटाशिक उर्वरकों पर 200 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया। इसके परिणामस्वरुप उर्वरकों की खपत पिछले वर्ष के 9.30 लाख टन से बढ कर इस वर्ष 9.86 लाख टन हो गई है। इस वर्ष किसानों को 2647.86 करोड़ रुपये के फसली ऋण दिए गए हैं जिससे किसानों की कर्ज़ सम्बन्धी जरूरतें पूरी हुई हैं।

47. राज्य सरकार जल संसाधनों के उचित प्रयोग हेतु फव्वारा सिंचाई संयंत्र के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। राज्य में गत वर्ष तक 78,840 फव्वारा सिंचाई संयंत्र कार्य कर रहे थे और वर्तमान वर्ष में 4000 नये फव्वारा सिंचाई संयंत्र लगाए गये हैं। जिप्सम की बिक्री पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है तथा इसके प्रयोग से इस वर्ष लगभग 8000 हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार होगा। झज्जर, भिवानी, कलायत व गोहाना में लवणीय भूमि के सुधार के लियें राज्य सरकार द्वारा पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बड़े उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं तथा 1278 हैक्टेयर भूमि को दोबारा कृषि योग्य बनाया गया है।

48. कृषि उत्पाद विपणन की सभी सुविधाएं राज्य में उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 105 मुख्य मंडियां, 179 उप-मंडियां व 158 खरीद केन्द्रों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे किसानों को अपनी फसलों को बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रत्येक गाँव से 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में यह सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 150.00 करोड़ रुपये मार्किट फीस के रूप में एकत्र करने का लक्ष्य है जिसमें से जनवरी

2002 तक 141.38 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम समेत राज्य में कुल भण्डारण क्षमता 115.82 लाख टन है। इस वर्ष ही 12.80 लाख टन की नई भण्डारण क्षमता बनाई गयी है।

49. पशुपालन हमारी कृषि अर्थ व्यवस्था का मुख्य घटक है। पशुधन छोटे किसानों व भूमिहीनों के लिये आय बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। राज्य में 1.14 करोड़ पशुधन है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड ने प्रजनन व जैविक विकास कार्यक्रम के ज़रिए अच्छी नस्ल के पशु धन तैयार करने में अहम भूमिका निभायी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें पशुओं के लिए बीमा योजना आरम्भ की गई है। बीमे की किस्त का आधा भाग बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। भैंसों में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना चलाई जा रही है। राज्य में 2421 पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं। चालू वर्ष में 33 नये अस्पताल एवं 18 नये औषधालय खोले गए हैं एवं 9 अन्य पशु चिकित्सा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर अस्पताल बनाया गया है। वर्ष 2002-03 में 20 नई पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने व 40 संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर अस्पताल बनाये जाने की योजना है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में प्रति व्यक्ति दैनिक दुग्ध उपलब्धता 637 ग्राम तक पहुँच गई है जो देश में द्वितीय स्थान पर है। (मेजें थप-थपाई गई)

50. चालू वर्ष के अंत तक राज्य सरकार ने पशुधन से 50.83 लाख टन दूध, 8705 लाख अण्डे और 24.88 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन की योजना बनाई है। पशुपालन क्षेत्र के लिये वर्ष 2002-03 में 8.00 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान है।

51. चालू वित्त वर्ष के अंत तक राज्य में 35,500 टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य है। दिसम्बर 2001 तक 6500 हैक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्यपालन के अन्तर्गत लाया गया है एवं 404 अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मत्स्यपालन विभाग द्वारा खारे व मीठे पानी में झींगा उत्पादन के लिये पायलट परियोजना चलाई जा रही हैं।

वर्ष 2002-03 के दौरान कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के लिये, जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध विकास, बागवानी और वानिकी शामिल हैं, कुल 944.61 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेतर प्रावधान किया गया है।

सहकारिता

52. एक सुदृढ़ सहकारिता आन्दोलन के तौर पर राज्य में अब 22,969 सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं। इनमें कुल 45.17 लाख सदस्य और 12,000 करोड़ रुपये से अधिक कार्यपूंजी परिव्यय है।

53. सहकारिता ऋण नैटवर्क से चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक के अल्पावधि के तथा 250 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण दिये जाएंगे। किसान, ऋण कार्ड प्रणाली में अब तक 5.64 लाख किसान शामिल किये जा चुके हैं। झज्जर तथा फतेहाबाद ज़िलों में नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने अप्रैल, 2001 से कार्य आरम्भ कर दिया है।

54. इस वर्ष सिरसा तथा गोहाना में दो नई सहकारी चीनी मिलों को रिकार्ड समय के अन्दर चालू किया गया है। इससे राज्य में सहकारी चीनी मिलों की संख्या बारह हो गई तथा दैनिक पिराई क्षमता बढ़कर 25,050 टन हो गई। वर्ष 2000-01 में सहकारी चीनी मिलों ने 342.68 लाख टन

[प्रो० सम्पत सिंह]

गन्ने की पिराई की थी तथा पिराई सत्र के अन्त तक 363.97 करोड़ रुपये की अदायगी की गई थी। चालू पिराई सत्र में 7 मार्च तक 233.25 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है तथा 9.53 प्रतिशत की वसूली दर से 27.87 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।

55. माननीय सदस्यगण, सहकारिता क्षेत्र में हुई दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हरियाणा एपैक्स सहकारी बैंक को देश के सहकारी बैंकों में सर्वोत्तम माना गया है। जीन्द एवं करनाल की सहकारी चीनी मिलों को भी यथाक्रम तकनीकी कुशलता तथा गन्ना विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। (मेजें थपथपाई गई)

वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में सहकारिता विभाग के लिये 39.44 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेतर प्रावधान किया गया है। सहकारिता नैटवर्क का प्रावधान इससे अलग है।

औद्योगिक विकास का वातावरण

56. राज्य सरकार की औद्योगिक विकास की नीति के अच्छे परिणाम रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2001 तक 434 करोड़ रुपये के निवेश से 20 बड़े तथा मध्यम उद्योग तथा 554 लघु उद्योगों की स्थापना की गई है जिससे 8469 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिला है। अब राज्य में 1097 बड़े तथा मध्यम और 74,682 लघु उद्योग हैं। राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने विदेशगत पूंजी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है।

57. वर्ष 2001 में हरियाणा से कुल 7000 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के बाद अब हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाला देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यत: रेडीमेट गारमैन्ट, मोटरों के पुर्ज़े, कारें, दो-पहिया वाहन, रसायन, चावल, हथकरघा उत्पाद तथा वैज्ञानिक उपकरणों को राज्य से निर्यात किया जाता है।

58. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक निर्यात नीति तैयार करने जा रही है। उभरते हुए जैविक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी नीति तैयार की जा रही है।

59. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अच्छे स्तर की औद्योगिक सम्पदाएं विकसित करके औद्योगिक ढाँचा विकास करने की अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है। मानेसर स्थित चौधरी देवीलाल औद्योगिक मॉडल टाऊनशिप में उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण अनेक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों एवं घरानों ने यहां अपने उद्योग स्थापित किये हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम ने वर्ष 2000-01 में उद्योगों को क्रमश: 66.10 करोड़ रुपये तथा 41.74 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये हैं। अब इन संस्थानों की संचित मंजूरशुदा ऋण राशि क्रमश: 986.29 करोड़ रुपये तथा 2250.89 करोड़ रुपये हैं।

60. राज्य सरकार केन्द्र द्वारा चलायी जा रही औद्योगिक विकास स्कीमों को भी लागू कर रही है। हरियाणा खादी बोर्ड के तत्त्वावधान में ग्रामीण रोज़गार निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 385 ग्रामीण उद्योगों को 24.50 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है तथा चालू वित्त वर्ष में 29.80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। प्रधान मन्त्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत इस

वर्ष 8800 लाभान्वितों को सहायता दी जाएगी। लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण के लिये राज्य सरकार लघु तथा मध्यम उद्यमी नवीकरण निधि से सहायता प्रदान कर रही है। इटली सरकार से प्राप्त 13.86 करोड़ रुपये की सहायता से फरीदाबाद में सेरेमिक विकास केन्द्र की स्थापना एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है।

61. सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 से इस क्षेत्र में उद्यमों में तेजी आई है एवं सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार का सूत्रपात हुआ है। निजी क्षेत्र में स्थापित की जा रही साइबर-सिटी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। गुड़गाँव में एस०टी०पी०आई० द्वारा स्थापित किया जा रहा मू-केन्द्र भी सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए एक प्रमुख सुविधा है।

62. आधारभूत सेवा एवं मूलभूत दूरसंचार सेवा के लिए बनाई गई 'राइट ऑफ वे' नीति के तहत दो मुख्य सेवा प्रदाताओं के साथ हाल ही में इकरारनामा किया गया है। इससे राज्य भर में बेहतर संचार के लिए ऑपटिक फाइबर नेटवर्क बनने में सहायता मिलेगी। ई-प्रशासन तथा उचित नागरिक संपर्क के लिए आवश्यक राज्यव्यापी नेटवर्क के लिए इन सेवा प्रदाताओं से निःशुल्क बैंडविड्थ मिलेगी। मैं प्रमुख ई-शासन कदमों के बारे में अन्यत्र वर्णन करूँगा।

वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में उद्योग क्षेत्र के लिए कुल 51.80 करोड़ रुपये का योजनागत तथा योजनेत्तर प्रावधान किया गया है।

रोज़गारोन्मुखी क्षमता का विकास

63. हमारी सरकार राज्य के उद्योग क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्रयत्नों में तालमेल का वातावरण बनाने के पक्ष में है। हम ऐसे स्तर की तकनीकी मानव शक्ति तैयार करना चाहते हैं जो उद्योगों में नौकरी के साथ-साथ अपनी तकनीकी क्षमता से स्व-रोज़गार भी चलाने में सक्षम हों। हमारा लक्ष्य न केवल औद्योगिक इकाई में रोज़गार के लिए अच्छे स्तर के तकनीकी मानवशक्ति जुटाना है बल्कि उद्योगों के साथ-साथ लोगों को बढ़िया तकनीकी सेवा देना भी है।

64. इस उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में 1999-2000 में 58 उच्चतर तकनीकी शिक्षा संस्थाएं थी जो 2001-02 में बढ़कर 137 हो गई हैं। इसी अवधि में विद्यार्थियों की संख्या 9006 से बढ़कर 21,717 हो गई है। वर्ष 2001-02 में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में 13,791 विद्यार्थियों के लिये सीटों का प्रावधान किया गया है।

65. राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु पाठ्यक्रम में सुधार तथा शिक्षा व्यवस्था में कम्पयूटर के प्रयोग पर ध्यान दिया गया है। कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को नौकरी पाने में मदद करने के उद्देश्य से उद्योगों व तकनीकी संस्थानों में वार्ता-विनिमय प्रकोष्ठों को गतिशील बनाया गया है। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए माइक्रोसाफ्ट, आइ०बी०एम० और सिसको (CISCO) जैसी संस्थाओं के साथ समझौता किया है। नीलोखेड़ी के राजकीय पोलिटेक्नीक और कुरुक्षेत्र स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज को ISO-9002 प्रमाणपत्र मिला है जो इन संस्थाओं में उत्तम शिक्षा स्तर का प्रमाण है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र को मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की संभावना है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

66. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के कई नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं तथा वर्तमान पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। सरकार मानेसर में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी कर रही है। इसके अतिरिक्त 9 नये राजकीय पोलिटेक्नीक स्थापित किये जा रहे हैं तथा चार निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए अनापत्ति-पत्र भी जारी कर दिये गये हैं।

67. राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 194 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र और व्यवसायिक शिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें 32,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये संस्थाएं हमारे युवाओं को नौकरी और स्वरोज़गार के लिए कुशल बनाते हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है जिसके लिए 31 संस्थाएं कार्यरत हैं। राज्य की नीति के अनुसार महिला प्रशिक्षुओं से कोई फीस नहीं ली जाती है।

68. इन संस्थाओं में प्रशिक्षुओं को अप्रेन्टीसशिप के ज़रिए वास्तविक कार्य परिवेश में प्रशिक्षण का अवसर दिया जाता है। इससे प्रशिक्षण रोज़गार की जरूरतों के अनुरूप हो पाता है।

69. इस प्रकार सरकार ने हरियाणा के युवाओं में रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के उद्योगों के लिये तकनीकी रूप से दक्ष जनशक्ति की आपूर्ति करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

सर्वव्यापक प्रारम्भिक शिक्षा

70. हमारा देश बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की जरूरत को स्वीकारता है और इस कारण प्राथमिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार बनाया गया है। राज्य भर में 11,013 सरकारी एवं सहायताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की व्यापक व्यवस्था है। इन विद्यालयों में 20.17 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनमें 9.54 लाख लड़कियाँ हैं।

71. वर्ष 2002-03 से सर्वशिक्षा अभियान का प्रारम्भ हो रहा है। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना तथा वर्ष 2010 तक सबके लिए मिडॅल स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना इस केन्द्र-प्रायोजित परियोजना का लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कई प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनमें भवन आदि का निर्माण, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहन, शिक्षा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार आदि शामिल हैं। विश्व बैंक सहायताप्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना को प्रथम चरण में कैथल, जीन्द, हिसार और सिरसा ज़िलों में तथा द्वितीय चरण में भिवानी, गुड़गाँव और महेन्द्रगढ़ ज़िलों में लागू किया गया। इन ज़िलों में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में भारी वृद्धि हुई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के ज़रिए यह परियोजना शिक्षण स्तर को सुधारने में कारगर सिद्ध हुई है।

72. माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार जहाँ प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए सभी को स्कूली शिक्षा प्रदान कराने के लिए कटिबद्ध है, वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील भी है। सरकार सामान्य शिक्षा की बजाय तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बल देना चाहती है। महाविद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं मेधावी विद्यार्थियों को ही इस स्तर पर शिक्षा सुविधा देने के बारे में विचार किया जा रहा है। हम सहायता-प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं।

73. प्राध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशनों पर रोक लगा कर सरकार ने समय के अनुसार कदम उठाया है। कालेज स्तर पर 'कमाएँ जब आप शिक्षा पाएँ' (Earn while you learn) नामक स्कीम चलाई गई है जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी कालेज में ही काम करके पारिश्रमिक अर्जित कर सकते हैं।

74. वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में शिक्षा के लिए कुल 1765.83 करोड़ रुपये का योजना और योजनेतर प्रावधान किया गया है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिए 834 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 564.80 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा के लिए 226.05 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा के लिए 66.19 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए 45.21 करोड़ रुपये तथा कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण के लिए 29.57 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

समाज कल्याण

75. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के असुरक्षित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रणाली को देश में एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था से वृद्धों, अपंगों, विधवाओं व निराश्रित महिलाओं के लिए आवश्यक राहत व सम्मान प्रदान किया गया है। इन श्रेणियों की पैंशन के लिये चालू वर्ष में 318.23 करोड़ रुपये और वर्ष 2002-03 के लिये 327.03 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों के लिए ताऊ देवीलाल विश्राम गृह बनाये जा रहे हैं। अब तक इस प्रकार के 265 वृद्ध विश्रामगृह बनाये जा चुके हैं एवं 248 निर्माणाधीन हैं।

76. साधनहीन वर्गों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की दर दुगुनी कर दी है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त आवासीय सुविधायें, रोज़गारोन्मुख प्रतियोगी परीक्षाओं व तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता आदि अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की दर में भी वृद्धि कर दी गयी है।

77. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को स्व-रोज़गार और जीविका-उपार्जन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वर्ष 2002-03 के लिये अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम 12,500 व्यक्तियों को सहायता देने के लिये 46.96 करोड़ रुपये की योजना बना रहा है। पिछड़ा वर्ग निगम अगले साल 2500 व्यक्तियों को सहायता देने के लिये 9 करोड़ रुपये का प्रावधान रखेगा।

समाज कल्याण क्षेत्र के लिये वर्ष 2002-03 के बजट में 503.84 करोड़ रुपये का कुल योजना एवं योजनेतर प्रावधान किया गया है जिसमें महिला एवं बाल विकास, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति

78. माननीय सदस्यगण, मैंने इससे पूर्व राज्य में हुये रिकार्ड अन्न उत्पादन की ओर संकेत किया था। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में योगदान देकर हरियाणा के किसानों ने देश की महान सेवा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीद की मौजूदा प्रणाली हमारे किसानों की मेहनत के फल को सुनिश्चित करने में कारगर रही है। ऐसी

[प्रो० सम्पत सिंह]

चर्चा है कि मौजूदा विशाल खाद्य भण्डार को देखते हुए केन्द्र सरकार वैकल्पिक खाद्यान्न खरीद व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है। हमारी सरकार इस समय खाद्यान्न खरीद प्रणाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ है। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव के दृष्टिगत केन्द्र सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए रोज़गार जुटाने के उद्देश्य से 'काम के बदले अनाज' योजना लागू की है। इससे मौजूदा खाद्यान्न भण्डारों का तुरन्त काफी हद तक इस्तेमाल हो पाएगा। हम महसूस करते हैं कि समय के साथ-साथ धीरे-धीरे अन्य नकदी फसलें उगाने के लिए सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिए।

79. खरीफ़ 2001-02 में सरकारी खरीद एजेंसियों एवं मिलों द्वारा 23.18 लाख टन धान की खरीद की गई थी। रबी 2001-02 में केन्द्रीय पूल के लिए 64.07 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। हमारी सरकार ने आगामी रबी के दौरान लगभग 65.00 लाख टन गेहूं खरीद करने की तैयारी की है।

80. हमारे राज्य में एक विस्तृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। राज्य में कुल 44.23 लाख राशन कार्ड धारक हैं जिनको 7460 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सेवा प्रदान की जा रही है। मई, 2001 में राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना का शुभारम्भ हुआ। इस योजना के तहत 1,08,748 अत्यन्त गरीब परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति मास 25 किलोग्राम गेहूँ मुहैय्या करवाया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य 5.71 लाख परिवारों को 4.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति मास 25 किलोग्राम गेहूँ दिया जा रहा है।

81. हमारी सरकार ने राज्य में सभी आवश्यक वस्तुओं की सुलभता सुनिश्चित की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई है।

स्वास्थ्य सेवाएं

82. हरियाणा राज्य में एक सुविकसित स्वास्थ्य सेवा तन्त्र उपलब्ध है। इस समय राज्य में 49 सामान्य अस्पताल, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 402 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2299 उपकेन्द्र, 12 जिला क्षयरोग केन्द्र, 29 औषधायल, 2 दंत-औषधालय तथा 14 मोबाइल डिस्पैंसरियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस समय 2040 चिकित्सक, 220 दंत-चिकित्सक, 1478 स्टाफ नर्सें, 978 फार्मासिस्ट, 5186 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 847 लैबोरेट्री तकनीशियन, 93 चक्षु सहायक और 142 रेडियोग्राफर स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडिकल साईंस, रोहतक तथा सरकारी सहायता-प्राप्त महाराजा अग्रसेन मैडिकल कालेज, अग्रोहा भी राज्य के लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

83. हमारी सरकार राज्य में उचित स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने के लिए कटिबद्ध है। इस समय 3 अस्पतालों, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नये भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। करनाल के अस्पताल में ट्रोमा सैन्टर, सामान्य अस्पताल, फतेहाबाद में ब्लड बैंक, व सामान्य अस्पताल हिसार में बर्न्-यूनिट के लिए भवन निर्माण कार्य जारी हैं।

84. उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सी०टी० स्कैनर, लिथोट्रिपटर, आपरेशन थियेटर टेबल तथा अन्य उपकरण, एक्सरे मशीनें, कलर डोपलर अल्ट्रासाऊंड मशीनें, फिटल मोनीटर इत्यादि आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। कैंसर के उपचार के लिए एक विशेष कोबाल्ट यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष के दौरान उपकरणों के लिए 9.14 करोड़ रुपये तथा दवाइयों के लिए 16.13 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

85. स्वास्थ्य विभाग का ध्यान अब दो गम्भीर रोगों पर केन्द्रित है। राज्य में तपेदिक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फरीदाबाद, गुड़गाँव और सोनीपत में केन्द्रित तपेदिक नियन्त्रक परियोजना वर्ष 2000 में शुरु की थी। अब इस योजना को करनाल और जीन्द में भी लागू किया गया है। सन् 2004-05 तक पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को लागू करने का विचार है।

86. एड्स की बढ़ती महामारी का सामना करने के लिए विभिन्न उपायुक्त रणनीति को अपनाया गया है। इस समय सुरक्षित रक्त प्रदान करने के लिए राज्य में 28 लाइसैंस-शुदा ब्लड बैंक हैं। राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा तीन स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों और 11 एस०टी०डी० क्लिनिकों के माध्यम से चेतना अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में यौन रोगों की जानकारी देने हेतु परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान यौन रोगों की पहचान, उपचार तथा सम्बन्धित परामर्श में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसमें खासकर ट्रक चालकों, प्रवासी श्रमिकों गणिकाओं, बस चालकों, कण्डक्टरों तथा कैदियों को एच०आई०वी० एवं यौन रोगों के विषय में जानकारी तथा सलाह दी जा रही है।

87. कन्या-भ्रूण हत्या एक अन्य चिंताजनक विषय है। पुरुष स्त्री अनुपात दर के मामले में हरियाणा निम्नतम दर वाले राज्यों में से एक है। पुत्र संतान की आकांक्षा एवं कन्या-भ्रूण हत्या एक सामाजिक बुराई है। राज्य में 1996 से प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट, 1994 लागू किया जा चुका है। अब भ्रूण लिंग निर्धारण तथा कन्या-भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्य में डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को पंजीकृत किया गया है।

88. वर्ष 1997 से राज्य में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान तथा जन्म के बाद जच्चा-बच्चा को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं अन्य सुधार किए गए हैं। राज्य में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, गिनी वोर्म उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम और कुष्ठ निवारण कार्यक्रम इत्यादि मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं।

89. प्रदेश में जनसंख्या की संभावित आयु 65 वर्ष है एवं शिशु मृत्यु दर 56.8 प्रति हज़ार है। यह दोनों स्वास्थ्य सूचक राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं। 1999 में जन्मदर 26.8 प्रति हज़ार थी। जन्म दर को कम करने की दिशा में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2002-03 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 405.16 करोड़ रुपये का कुल योजना एवं योजनेतर प्रावधान किया गया है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रावधान शामिल हैं।

[प्रो० सम्पत सिंह]

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थाएं

90. भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के साथ-साथ आधारभूत ढाँचा बनाने के लिये व स्वरोज़गार के अवसर जुटाने की रणनीति अपनाई है। राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिये कटिबद्ध है। इनमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोज़गार आश्वासन स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मन्त्री ग्रामोदय योजना, मरुस्थल सुधार कार्यक्रम आदि योजनायें प्रमुख हैं। वर्ष 2002-03 में इन कार्यक्रमों के लिये 113.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ज़िला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को दी जा रही केन्द्रीय अनुदान समेत ग्रामीण विकास के लिये लगभग 201.45 करोड़ रुपये की कुल राशि उपलब्ध होगी।

राज्य सरकार ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया था। अब दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं को राशि स्थानांतरित की जाएगी।

खेल तथा युवा कल्याण

91. सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण पिछले दो वर्षों में राज्य में खेलों के क्षेत्र में नयी प्रेरणा जागी है। हमारी सरकार ने राज्य में अच्छे स्तर का खेल ढाँचा बनाने हेतु कदम उठाए हैं। अम्बाला तथा गुड़गाँव में दो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। हिसार में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक बहुखेल प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के रहने तथा प्रशिक्षण पाने की सुविधायें उपलब्ध हैं। ज़िला सोनीपत के गाँव जोशी चौहान में लगभग 83 एकड़ भूमि पर चौधरी देवीलाल की स्मृति में भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

92. भीम पुरस्कार के अतिरिक्त हमारी सरकार ने ओलम्पिक मुकाबलों में देश के लिए स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक पाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों को यथाक्रम एक करोड़ रुपये, पचास लाख रुपये तथा पच्चीस लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान करने की स्कीम आरम्भ की है। सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत कुछ सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कुछ खेलों को विकसित करने के लिए अपनाने तथा अपने संगठनों में उन खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा ओलम्पिक संघ राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने में अहम् भूमिका निभा रहा है। सरकार की खेल प्रोत्साहन नीतियों के फलस्वरूप हरियाणा के खिलाड़ियों ने पंजाब में हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में 17 स्वर्ण, 20 रजत तथा 28 कांस्य पदक जीत कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

93. गत जनवरी में हिसार में सातवें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव सफलतापूर्वक मनाया गया जिसमें देश भर से 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इस आयोजन से बहुविध खेल मुकाबलों के आयोजन के लिये हमारी क्षमता उजागर हुई है।

94. हरियाणा क्रिकेट टीम के कप्तान व युवा विकेट कीपर-बल्लेबाज अजय रात्रा को हाल ही में भारत की सीमित ओवर क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। सौरभ सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय

स्तर के आई०टी०एफ० कनिष्ठ सरकिट टेनिस में दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में दो खिताबी विजय प्राप्त करके होनहारी का प्रदर्शन किया है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये तथा अन्य युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा प्रदर्शन से हमें गौरवान्वित करेंगे।

95. माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी खेलों को बढ़ावा दें तथा देश में अपने राज्य को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सरकार के प्रयासों में हाथ बटाएं।

शासन की नई दिशा

96. हमारी सरकार इस सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास रखती है कि प्रजातंत्र में शासन लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा चलाया जाता है। इसलिये शासन को लोगों की भावनाओं और आंकाक्षाओं के अनुरूप बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा चलाया गया 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम एक अनुठा कार्यक्रम है। इससे प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी कम हुई है और लोगों की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिली है।

इस कार्यक्रम से सरकारी तंत्र को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में भी मदद मिली है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत दो चरणों में 1211.46 करोड़ रुपये के 19,919 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 10,089 कार्य पूरे किये जा चुके हैं एवं बाकी 9830 कार्य प्रगति पर हैं।

97. पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार द्वारा नई खनन नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत खुली बोली द्वारा नई खानें पट्टे पर दी गई। इस नीति ने न केवल व्यवस्था को पारदर्शी बनाया, अपितु इस वर्ष का सरकारी राजस्व भी बढ़कर 65.86 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वर्ष से चार गुना अधिक है।

98. राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण को विकास की रणनीति में महत्त्वपूर्ण कड़ी मानती है। सरकार कर्मचारियों के हित के लिए तत्पर रही है एवं उनके द्वारा राज्य के विकास एवं जन कल्याण में सकारात्मक योगदान के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करती रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को सेवानिवृति पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ सेवानिवृति वाले दिन ही दे दिए जाएं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

99. सरकार राज्य में 'ई-शासन' लागू करने की इच्छुक है। 40 से अधिक विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचना प्रौद्योगिकी कार्य-योजना तैयार की है जिनमें से कुछ लागू किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस तकनीकी प्रयोग से खर्चे कम होंगे, काम में देरी घटेगी तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच बेहतर सम्पर्क होंगे। राज्य के आबकारी और कराधान विभाग, बिजली संस्थाएं, वित्त विभाग और खज़ाना एवं लेखा विभाग आदि विभागों में ई-शासन परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे प्रशासन अधिक कार्यकुशल बनेगा।

सत्ता में आने के पश्चात् हमारी सरकार ने राज्य में एक आदर्श कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की है। उद्योग-श्रमिक सम्बन्ध भी सुखद रहे। इनसे हमारे आर्थिक विकास को गति मिली है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

सतत्, वित्तीय सुधार

100. राज्य सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक दीर्घावधि परिदृश्य योजना तैयार करने तथा इस योजना को चरितार्थ करने के लिए ठोस रणनीति बनाने का निर्णय लिया है। परिदृश्य योजना तैयार करने तथा विकास प्रक्रिया, विशेषकर मूलभूत ढांचों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कानूनी तथा प्रशासकीय रूपरेखा तैयार करने के लिए ख्याति-प्राप्त सलाहकार संस्थाओं को नियुक्त किया गया है।

101. माननीय सदस्यगण, अर्थशास्त्रियों तथा राजनैतिक प्रेक्षकों ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विस्तार से टिप्पणियाँ की हैं। इस समय अर्थव्यवस्था औद्योगिक तथा विपणन मन्दी का सामना कर रही है। राजस्व खर्च, विशेषकर सरकारी तन्त्र पर खर्च में वृद्धि के कारण अधिकांश राज्यों में विकास खर्च में भारी कमी आई है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अब अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन राजनैतिक सुविधा अथवा अवसरवाद के मासहत नहीं हो सकता। गैर उत्पादक तथा भारी स्थापना खर्चों में कमी करके एवं मुफ्त लोक सेवाओं का विचार छोड़कर वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे।

102. राज्य सरकार विभिन्न विभागों के संगठनात्मक ढाँचे तथा अमला-पद्धति की समीक्षा करके उनको युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है। पिछले दो वर्षों में 5400 से अधिक गैर जरूरी पद समाप्त किए गए हैं। आवश्यकता की अच्छी प्रकार से जाँच पड़ताल करने के बाद ही नये पद स्वीकृत किए जाते हैं। राज्य सरकार ने विछले वर्ष तथा इस वर्ष में फालतू अमले के अंशनिष्कासन खर्च के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को 13.64 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

103. मैंने अपने पिछले बजट प्रस्तावों में 'सिंकिंग फंड' तथा राज्य आर्थिक पुनर्जागरण कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इन निधियों को लोक लेखा निधि के रूप में अधिसूचित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श जारी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बोर्डों आदि द्वारा सरकारी गारंटी के आधार पर लिए जा रहे ऋणों पर अगस्त, 2001 से दो प्रतिशत प्रत्यामूर्ति शुल्क लगाया है। ये प्राप्तियाँ 'सिंकिंग फंड' में जमा की जायेंगी।

104. ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों में वित्तीय सुधार के लिए प्रोत्साहन निधि की स्थापना की है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये गए बजट में भी राज्यों के लिए सुधारों से जुड़ी अन्य प्रोत्साहन सहायता राशि का संकेत है। राजस्व घाटे, वित्तीय घाटे, वार्षिक ब्याज अदायगी तथा बढ़ते योजनेतर खर्चों में कमी करने की दिशा में सुधार की जरूरत है। केवल प्रोत्साहन निधियां प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के विकास खर्च की वर्तमान गति को बनाए रखने तथा उसको और तेज़ करने के लिए भी हमें सुधार की तरफ बढ़ना होगा। अत: हमारी सरकार राजस्व आधार मज़बूत करने एवं स्थापना खर्च कम करने के लिए कदम उठायेगी। केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश एवं पूंजीगत खर्च के लिए ही ऋण लिये जायेंगे।

बजट अनुमान, 2002-03

(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर पदासीन हुए।)

105. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2002-03 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 2001-02 का वर्ष 295.36 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ तथा 487.06 करोड़ रुपये के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष के दौरान लेन-देन में कुल 191.70 करोड़ रुपये का घाटा होगा। वर्ष 2002-03 487.06 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होगा तथा 689.26 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार आगामी वर्ष के दौरान 202.20 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। बजट अनुमानों में राज्य योजना के लिये 1922.50 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित एवं अन्य विकास योजनाओं के लिये 687.35 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य योजना के 1922.50 करोड़ रुपये के परिव्यय को 1466.44 करोड़ रुपये (76.3 प्रतिशत) के राज्य के अपने आय संसाधनों से तथा 456.06 करोड़ रुपये (23.7 प्रतिशत) की केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

106. वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में राज्य की समेकित निधि में 14,033.04 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां दिखाई गई हैं, जबकि वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में ये प्राप्तियां 12,648.40 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों के अनुसार समेकित निधि से 15,248.86 करोड़ रुपये का खर्च होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में यह खर्च 13,473.68 करोड़ रुपये है।

107. वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में 8925.11 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां आंकी गई हैं, जो वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में 7922.78 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से 1002.33 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में 9981.34 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च अनुमानित हैं, जो वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में 9093.26 करोड़ रुपये से 888.08 करोड़ रुपये अधिक है। खर्च में बढ़ोतरी मुख्यत: वेतन में 82.86 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान में 289.02 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहायता के लिए 104.35 करोड़ रुपये, विकेन्द्रीकृत योजना के लिए 127 करोड़ रुपये व सर्व शिक्षा अभियान के लिए 170 करोड़ रुपये का अधिक खर्च होने के कारण हुई है।

108. जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया था, राजस्व लेखों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 1056.23 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में 1170.48 करोड़ रुपये के घाटे से 114.25 करोड़ रुपये कम होगा। पहले बताए गये वित्तीय सुधार उपायों एवं नई नीतियों को अपनाने से अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे तथा इससे वित्तीय घाटा और कम होगा।

109. वर्ष 2002-03 के लिये आय और खर्च के अनुमानों का निर्धारण करते समय हमने योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखा है। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के संकेतानुसार ही रखा गया है। राज्य की कर प्राप्तियों में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई गई है तथा गैर-कर प्राप्तियों को पिछले रुझानों के अनुसार आंका गया है। योजनेतर खर्च पर अंकुश लगाने के लिये यथासम्भव प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में जनवरी एवं जुलाई, 2002 से देय महंगाई भत्ते की दो किस्तों के लिए 107.38 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

110. माननीय सदस्यगण इस बात को सराहेंगे कि वर्ष 2002-03 में बजट घाटे को प्रबन्ध योग्य रखा गया है तथा घाटे को और कम करने के लिए हमने कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। हमें उम्मीद है कि केन्द्र सरकार के नई आर्थिक नीति-निर्णयों से केन्द्रीय करों का अंतरण और बढ़ेगा। मैं ऑन-लाइन लाटरी पर बीस प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूँ, जिसके लिये अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। संसाधन जुटाने एवं खर्च में कटौती करने के हमारे प्रयासों से घाटे को पूरा किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि देश की अर्थनीति में भी सुधार होगा, जिससे हमारे संसाधन बढ़ेंगे।

111. इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले एक महीने से अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

112. महोदय, अब मैं वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से इस बजट के बारे में हमने जो सी०डी० तैयार की 13.00 बजे है, उसकी एक-एक कॉपी मैं आपको, सदन के नेता को, उपाध्यक्ष महोदय को और विपक्ष के नेता के बिहाफ पर श्री सूपेन्द्र सिंह हुड्डा को पेश करता हूं। इसके अलावा विधायकों को कम्प्यूटर मिलने के आर्डर हो चुके हैं जब यह कम्प्यूटर उनको उपलब्ध हो जाएंगे उसके बाद यह सी०डी० उनको भी दे दी जाएगी। धन्यवाद, जयहिन्द!

(इस समय उपरोक्त सी०डी० की कॉपीज दी गयी।)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 14th March, 2002.

*13.01 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 14th March, 2002.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY

34761—H.V.S.—H.G.P., Chd.